

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.12.2024 को आहूत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री सरवणन एम0, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर - सदस्य।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।
2. विगत बैठक दिनांक 14.11.2024 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्र0	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश एवं शपथ-पत्र, वांछित कागजात।
4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 02.01.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
8	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में vehicle location tracking device स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।
9	परिवहन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024	मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करने के संबंध में।

३ ४ १

5. माह नवम्बर-2024 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त हुए कुल-63 आवेदनों एवं पूर्व के लंबित 03 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसका समेकित विवरण निम्नवत् है:-

नये आवेदन	अक्टूबर 2024 का लंबित आवेदन	स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	अगली बैठक में निर्णय हेतु सुरक्षित
63	03	30	31	5	0

6. प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 एवं 14.11.2024 को समय अन्तराल पर सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय निम्नवत् है :-

(क) प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पटना या मुजफ्फरपुर से किसी भी मार्ग पर परिचालित वाहनों के प्रस्थान समय के पहले या बाद में न्यूनतम 3 (तीन) मिनट समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ii) पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर किसी अन्य पड़ाव स्थल से परिचालित वाहनों के लिए मार्ग भिन्न होने की स्थिति में यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से कम हो तब भी प्रारंभिक स्थल पर पहले या बाद में न्यूनतम समय अन्तराल 3 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा। यदि कॉमन रूट 40 प्रतिशत से अधिक हो तो प्रारंभिक स्थल पर पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(ख) मध्य बिन्दु पर न्यूनतम समय अन्तराल :- किसी वाहन का पूर्व से निर्गत परमिट अथवा किसी वाहन का परमिट हेतु पहले प्राप्त आवेदन (स्वीकृत होने की स्थिति में) के प्रस्थान समय से पहले या बाद में (Before/After) न्यूनतम 03 (तीन) मिनट का समय अन्तराल अनुमान्य होगा।

(i) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहन का मध्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले या बाद में 03 (तीन) मिनट अनुमान्य होगा।

(ii) पूर्व से निर्गत परमिट वाले वाहनों का प्रारंभिक/मुख्य बिन्दु एवं आवेदित वाहन का मध्य बिन्दु होने की स्थिति में समय अन्तराल पहले (Before) न्यूनतम 07 मिनट और बाद में (After) न्यूनतम 05 (पाँच) मिनट (पटना या मुजफ्फरपुर छोड़कर) अनुमान्य होगा, परन्तु कंडिका 6 (क) (ii) प्रभावी रहेगा।

7. **Overlapping of Route** एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है, दूसरे मार्ग के परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दूसरे मार्ग से भिन्न हो एवं एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से कम आच्छादित करता हो तो दोनों मार्गों को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा तथा जब एक मार्ग दूसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक आच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को समान मानते हुए तदनुसार परमिट निर्गमन पर निर्णय लिया जाएगा।

8. नये आवेदन संबंधी दिशा निर्देश :- परमिट निर्गत करने हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन, प्रकाशित समय-सारणी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के आधार पर लिया जाता है। किसी प्रकार का त्रुटि न हो इसके लिए कार्यालय अभिलेख के रूप में निम्नलिखित कागजातों की पठनीय/स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा करना आवश्यक है :-

- (i) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
(ii) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

६

७

- (iii) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र (Fitness) की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (iv) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (v) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (vi) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (vii) HSRP स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (viii) आवेदित मार्ग का वैध नक्शा।
- (ix) मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन ऑनलाईन आवेदन के List of Documents के क्रमांक 22 में फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ स्कैन कर अपलोड करेंगे।
- (x) विहित प्रपत्र में 22 बिंदु का शपथ-पत्र।

नोट:—शपथ पत्र पर निबंधन पुस्त के अनुरूप ही वाहन स्वामी का नाम/पता अंकित किया जाएगा।)

- (xi) वाहन के अन्दर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)
- (xii) वाहन स्वामी का आधार कार्ड/पैन कार्ड/आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (xiii) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर।
- (xiv) वाहन के चालक एवं कंडक्टर की अनुज्ञप्ति स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (xv) पुराना परमिट समय-सारणी के साथ (यदि वाहन परमिट से आवृत्त हो)
- (xvi) बैनर का नाम (बैनर अंतर्गत परिचालित सभी वाहनों की सूची अवश्य संलग्न करें)
- (xvii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं0 एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
- (xviii) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -मार्ग संख्या के साथ अंकित भाया के अनुरूप समय-सारणी का प्रकाशन करते हुए उसकी मूल प्रति समर्पित की जाए। दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर एवं अधिसूचित मार्ग के अनुरूप पड़ाव स्थल अंकित नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा शपथ-पत्र में उल्लेख करना होगा कि समय-सारणी में कहीं भी गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

समय-सारणी का प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

9. आवेदित वाहनों के समय-सारणी का प्रकाशन:-

- (i) आवेदक द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन एवं मूल संचिका में संलग्न समय-सारणी के अनुसार प्रस्तावित समय को बिना संशोधित किए दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु कार्यालय के वेबसाईट पर तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जाता है। अतः आवेदक की जिम्मेवारी है कि अधिसूचित मार्ग संख्या एवं अंकित भाया के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन एवं समय-सारणी प्रकाशित की जाए। ऑनलाईन एवं ऑफलाइन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (ii) यदि किसी वाहन को परमिट की स्वीकृति दी जाती है तथा बाद में समय-सारणी या वाहन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होता है, तब प्राधिकार द्वारा तथ्यों की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

✍ ✍ ✍

10. आपत्ति आमंत्रित करना:-

(i) प्राधिकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों को एजेंडा के रूप में संकलित किया जाता है एवं "पहले आओ-पहले पाओ" First in-First out (FIFO) के नियम के आधार पर आवेदन को तिथि/समय के क्रमानुसार संधारित किया जाता है।

(ii) समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति के लिए शुल्क के रूप में 1000/-रु० निर्धारित है।

(iii) प्राधिकार को समय-सारणी प्रकाशन पर आपत्ति से इतर किसी विशेष सूचना देने पर कोई आपत्ति शुल्क देय नहीं है। कार्यालय सूचना को एजेंडा/प्रोसिडिंग में प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

11. आपत्तिकर्ता का दायित्व :-

(i) आपत्तिकर्ता परमिट से आवृत वाहनों से ही आपत्ति दर्ज करेंगे एवं आपत्ति करते समय संबंधित वाहनों के सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, इन्श्यूरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, एच०एस०आर०पी०, भी०एल०टी०डी० अद्यतन एवं अधिरोपित जुर्माना की राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा मान्य कागजात/जुर्माना लंबित रहने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा अतिरिक्त जुर्माना रु० 10000/- अधिरोपित किया जाएगा तथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि किसी भी तरह का आवेदन स्वयं उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारणवश वाहन स्वामी उपस्थित नहीं हो सके तो अपने द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण पत्र एवं संबंधित प्रतिनिधि का पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करते हुए कार्यालय के काउण्टर पर जमा किया जा सकता है।

(iii) प्रायः देखा जा रहा है कि वास्ते लिखकर एक प्रतिनिधि द्वारा अनेक वाहन स्वामी का हस्ताक्षर कर बेवजह आपत्ति दर्ज किया जा रहा है, जिससे अवांछित आपत्ति प्राप्त होता रहता है एवं कार्यालय का समय बर्बाद होता है। अतः आपत्ति/आवेदन की प्रमाणिकता स्थापित हो सके इसके लिए भविष्य में वास्ते से हस्ताक्षरित सभी आवेदन /आपत्ति में वाहन स्वामी का प्राधिकरण पत्र एवं पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। प्राधिकरण पत्र की एक मूल प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, ताकि जरूरत पड़ने पर छायाप्रति को मूल कार्यालय प्रति से मिलान किया जा सके।

(iv) कार्यालय में किसी काम से आनेवाले प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ वाहन स्वामी द्वारा उनके नाम से निर्गत प्राधिकरण पत्र के साथ मान्य पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य है, जाँच के दौरान उक्त का उल्लंघन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

(v) यदि किसी वाहन स्वामी को अपनी शिकायत/बात रखनी हो तो इस प्राधिकार का ई-मेल:- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर जानकारी को ऑनलाईन भेज सकते हैं अथवा संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत, मुजफ्फरपुर के समक्ष उपस्थित होकर शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं।

12. वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :- सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)	
		असीमित	
1	0-5	600	
2	5-10	400	
3	10-15	100	
4	15 वर्ष से अधिक		

६

७

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया गया कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे।

13. **गति सीमा का पालन** :- सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध किया गया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कंडिका-8 में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य बस- 20-60 कि०मी०/घंटा

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत-10-60 कि०मी०/घंटा

नोट:- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजनान्तर्गत क्रय किए गए वाहनों का परमिट हेतु आवेदन केवल मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना (MMPPY) अन्तर्गत अधिसूचित/निर्धारित मार्ग पर ही स्वीकार किया जाएगा।

14. **बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना** :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राईवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि बसों की जाँच उपरोक्त निदेशानुसार करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

15. **सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में Vehicle Location Tracking Device स्थापित एवं सक्रिय होना**:- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 16.07.2023 एवं 09.02.2024 तथा हिन्दुस्तान के दिनांक 09.02.2024 के अंक में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे।

₹

₹

₹

साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत्त वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि बसों में V.L.T.D. की सक्रियता की जाँच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें।

16. **उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :-** जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं। प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" **First in-First out (FIFO)** के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

17. **स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण :-**

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
- (ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि वाहन हाईपोथिकेशन पर हो)
- (iii) प्रयोजन का साक्ष्य।
- (iv) आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।
- (v) सनहा (यदि परमिट खो गया हो/नष्ट हो गया हो)

नोट :-स्टेज कैरेज परमिट का प्रत्यर्पण (यदि फाईनेन्सर द्वारा गाड़ी की नीलामी की गई हो) :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

- (i) परमिट की मूल प्रति।
- (ii) फाईनेन्सर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
- (iii) फाईनेन्सर का अनुशंसा पत्र (विक्रय किए गए वाहन स्वामी का सभी संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक के साथ)
- (iv) प्रयोजन का साक्ष्य।
- (v) फाईनेन्सर का निबंधन संबंधी साक्ष्य।
- (vi) सनहा (यदि परमिट की मूल प्रति फाईनेन्सर को सुपूर्द नहीं किया गया हो)

18. **स्टेज कैरेज परमिट की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई :-**

परमिट से संबंधित इस प्राधिकार के द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना के निर्णय एवं विभागीय निदेश के आलोक में समय-समय पर सूचनाओं को समाचार पत्र एवं इस प्राधिकार के वेबसाइट के माध्यम से प्रचारित किया जाता है तथा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम-1988, केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989, बिहार मोटरयान नियमावली-1992 एवं बिहार करारोपण अधिनियम-1994 की सुसंगत धाराओं एवं नियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जाती है।

19. **बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :-**सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गयी कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

20. **सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :-** प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों

8/

9/

के अन्दर निश्चित रूप से जमा कराकर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि 20.11.2024 तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को खाली कर दिया जाएगा।

कई वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन दिया गया है कि कोर्ट में जुर्माना लंबित होने के कारण अनुपालन में देरी होती है, वैसे वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि प्रतिमाह आवेदन देने के अंतिम तिथि के पूर्व सभी जुर्माना जमा करा कर निष्पादन करा लें। जुर्माना जमा होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किया जायेगा। कोर्ट में लंबित जुर्माना निष्पादित करने हेतु कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

21. **कार्यालय द्वारा कागजात की जाँच करना :-** परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदूषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, वी0एल0टी0डी0, विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन, अधिरोपित जुर्माना, शपथ-पत्र इत्यादि की जाँच कर, बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर परमिट प्रिंट करेंगे। तत्पश्चात् संबंधित लिपिक द्वारा पुनः उपर्युक्त तथ्यों की जाँच कर हस्ताक्षर हेतु परमिट उपस्थापित की जायेगी।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/लिपिक)


22. **परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :-** प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन स्वामी परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। प्राधिकार से स्टेज कैरेज परमिट प्राप्त कर स्कूल बस के रूप में परिचालित होने वाले बसों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत् कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

23. **परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहनों की जाँच :-** इस प्राधिकार के आदेश सं0- 3040 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा वाहनों का भौतिक सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर (तिरहुत प्रमंडल) में पदस्थापित मोटरयान निरीक्षक को प्राधिकृत किया गया है। अतः प्राधिकार के परमिट से संबंधित सभी वाहनों का निरीक्षण/जाँच प्रतिवेदन मोटरयान निरीक्षक, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन: मोटरयान निरीक्षक, आर0टी0ए0 मुजफ्फरपुर)

24. **परमिट के नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन करने के संबंध में निर्णय :-** परमिट नवीकरण/प्रतिस्थापन एवं ऑनलाईन किये जाने वाले वैसे मामले :-
- (i) जिसमें परमिट पर अंकित सभी भाया संबंधित मार्ग पर अच्छादित/अंकित हो तो उस मार्ग के अन्य ठहराव स्थल को बाईपास कर परमितों का नवीकरण किया जा सकेगा।
 - (ii) जिसमें अधिसूचित मार्ग पर अंकित भाया से पुराने परमितों में अंकित कुछ भाया अतिरिक्त जुड़े हुए हैं, तो वैसे मामलों में संबंधित वाहन स्वामी के अनुरोध के आलोक में उनसे (प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/नोटरी) से निर्गत शपथ-पत्र के साथ सहमति पत्र प्राप्त कर अतिरिक्त भाया को शून्य करते हुए नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जा सकेगा।
 - (iii) जिसमें अबतक मार्ग अधिसूचित नहीं हो पाया है उसे परिवहन विभाग, बिहार, पटना को मार्ग अधिसूचित करने हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जा सकेगा। इस तरह के मामले पर



क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, की बैठक में आवेदनों के निष्पादन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

25. परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8135 दिनांक 23.11.2020, पत्रांक 8473 दिनांक 14.12.2020, पत्रांक 8471 दिनांक 14.12.2020 एवं ज्ञापांक 13100 दिनांक 30.10.2024 के आलोक में वाहन परिचालन हेतु निर्गत किये गये परमिट का शत-प्रतिशत इन्ट्री वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में किया जाना बाध्यकारी है। इस हेतु सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय से दिनांक 15.11.2024, दिनांक 26.11.2024, दिनांक 29.11.2024 तथा दिनांक

07.12.2024 को सभी वाहन स्वामियों को आम सूचना द्वारा सूचित किया गया था कि प्राधिकार द्वारा निर्गत मैनुअल परमिट को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाना सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अभी तक इस कार्य हेतु बहुत ही कम आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। प्राधिकार की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्राधिकार द्वारा निर्गत जैसे परमिट जिसे अभी तक वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री नहीं करवाया गया है उसे 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से मैनुअल परमिट टाइम स्लॉट के साथ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि सभी मैनुअल परमिट को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में इन्ट्री करवाया जा सकें। अन्यथा वर्णित समयावधि के बाद मैनुअल परमिट का टाइम स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, प्राधिकार की आगामी बैठक में मैनुअल परमिट से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा की गई शमन कार्रवाई या अन्य शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

26. **प्राधिकार की बैठक में भाग लेना :-** प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया कि प्राधिकार की बैठक में संबंधित वाहन स्वामी या उनके वैध प्रतिनिधि (विधिवत् रूप से प्राधिकृत एवं आईडी0 कार्ड के साथ) ही भाग लेंगे।

27. **कार्यवाही में अंकित सभी वाहनों के कागजात की जाँच कर** संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार जुर्माना एवं कार्रवाई करेंगे तथा कृत कार्रवाई की सूचना बैठक से एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को भी देंगे। अद्यतन कागजात के बिना वाहन के परिचालन होने पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक की भी जवाबदेही तय की जायेगी।

अतएव सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में निबंधित एवं परिचालित वाहनों के कागजात की जाँच कर सुनिश्चित करेंगे कि बिना अद्यतन कागजात वाले वाहनों का परिचालन न हो।

28. **समान मार्ग संख्या वाले परमिट से कार्यालय अभ्युक्ति अंकित किया जाना :-** कार्यालय द्वारा आवेदित वाहन के समय पर समान मार्ग संख्या वाले सभी परमिटों के मुख्य बिन्दु पर अंकित समय का मिलान किया जाता है एवं टकराव पाये जाने की स्थिति में कार्यालय अभ्युक्ति में अंकित कर ट्रिप कटाव किया जाता है। अन्य मार्ग संख्या वाले परमिट से आपत्ति प्राप्त होने पर उसी आवेदन के संबंध में विचार किया जाता है, जिसपर आपत्ति प्राप्त होती है। मुख्य बिन्दु या मध्य बिन्दु पर समय टकराव होने की स्थिति में आवेदित वाहन को बाईपास/ट्रिप कटाव किया जाता है। प्राधिकार द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक कॉमन रूट को समान रूट मानकर ट्रिप कटाव किया जाता है।

29. **परमिट यात्रियों की सुविधा हेतु:-** क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु परमिट स्वीकृत किया जाता है। कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा लगातार टाइम स्लॉट में चार-पाँच परमिट प्राप्त किया जाता है एवं एक वाहन का परिचालन किया जाता है। टाइम-स्लॉट घेर कर रखा जाता है, ताकि अन्य आवेदक उक्त समय पर आवेदन न कर सकें।

8

0

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे सभी वाहनों का वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट एवं टॉल प्लाजा रिपोर्ट प्राप्त कर परिचालन होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की जायेगी। परमिट से आवृत्त वाहनों का परिचालन नहीं पाये जाने की स्थिति में परमिट रद्द कर दिया जाएगा एवं टाईम-स्लॉट फ्री कर दिया जाएगा, ताकि उक्त टाईम-स्लॉट पर अन्य वाहन स्वामी आवेदन कर सकें एवं यात्रीगणों को सुविधा मिले।

30. **फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्रवाई :-** प्राप्त सूचनानुसार कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र बनवाकर परिचालित किया जा रहा है। फर्जी बीमा प्रमाण-पत्र वाले वाहनों की दुर्घटना आदि की स्थिति में पीड़ितों को कोई दावा/मुआवजा आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतएव इस संबंध में प्राधिकार द्वारा सभी बसों के बीमा प्रमाण-पत्र की जाँच कराने का निर्णय लिया गया। यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण-पत्र फर्जी पाया जायेगा तो संबंधित वाहन स्वामी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

31. **आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व परमिट प्रत्यर्पण करना :-**

(क) वाहन स्वामियों को पुनः निदेश दिया गया कि परमिट से आवृत्त वाहनों के लिए किसी अन्य मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन देना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले पूर्व का परमिट कार्यालय में प्रत्यर्पित कराना सुनिश्चित करें, ताकि उक्त टाईम स्लॉट को रिक्त मान कर आवेदित वाहन को परमिट स्वीकृत किया जा सके, अन्यथा बाद में प्रत्यर्पित परमिट पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन पूर्व से परमिट से आवृत्त है एवं उसी वाहन से उसी मार्ग पर नया परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया हो तो परमिट प्रत्यर्पण की आवश्यकता नहीं है।

(ग) यदि किसी वाहन स्वामी का आवेदित वाहन के समय का टकराव उनके अन्य परमिट आवृत्त वाहन से हो रहा हो एवं वाहन स्वामी खेप कटाव नहीं चाहते हों तो इसके लिए पूर्व निर्गत परमिट को बैठक की तिथि से बैठक की तिथि छोड़कर सात दिन पूर्व तक प्रत्यर्पण करना आवश्यक है।

नोट :-राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से छः माह के बाद ही किया जाएगा तथा संबंधित प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। इस अवधि में प्रत्यर्पण की शर्त पर नया परमिट स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

32. **दो पड़ावों के बीच दूरी :-** कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग दूरी के संबंध में साक्ष्य/आपत्ति दिया जाता है। प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय सॉफ्टवेयर में अंकित दूरी को सही मानकर परमिट स्वीकृत/निर्गत करने पर विचार किया जाएगा। यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा दूरी के संबंध में आवेदन दिया जाता है तो उक्त दूरी के संबंध में सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को सॉफ्टवेयर में सुधार करने हेतु भेजा जाएगा।

33. **High Security Registration Plate :-** केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 एवं 51 में निहित प्रावधानों के तहत सभी वाहनों में H.S.R.P. लगाना अनिवार्य किया गया है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के समक्ष परमिट हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न फोटो की जाँच करने पर पता चलता है कि कतिपय वाहनों में H.S.R.P. नहीं लगा है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वे अपने सभी परमिट आवृत्त वाहनों एवं आवेदित वाहनों पर H.S.R.P. लगाना सुनिश्चित करें एवं पूर्व से लगाये H.S.R.P. को वाहन पोर्टल पर अद्यतन कराना भी सुनिश्चित करें यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। H.S.R.P. अद्यतन नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि H.S.R.P. अद्यतन कराने संबंधी वाहन स्वामियों से प्राप्त आवेदनों को शीघ्र निष्पादित करें एवं अपने क्षेत्राधिकार में बिना H.S.R.P. (अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट) के परिचालित होने वाले सभी वाहनों की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना/कार्रवाई करें।

(Handwritten signatures)

34. नये मार्ग अधिसूचित करने के संबंध में :- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा निर्णय लिया गया कि यदि नया मार्ग अधिसूचित कराने हेतु कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उसकी आवश्यकता की जाँच संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से करायी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर उक्त मार्ग को अधिसूचित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया जायेगा।
35. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना :- परिवहन विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 8866 दिनांक 09.07.2024 द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के अन्तर्गत कुल-2005 नये अन्तर्देशीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है। MMPPY योजना के तहत प्राप्त बसों के मालिकों को निदेश दिया गया कि वे योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही परिचालन हेतु आवेदन समर्पित करें, अन्यथा उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। इस योजना से आच्छादित लाभुकों को परमिट हेतु आवेदन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालन: सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत)

36. वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन कराने के संबंध में :- परिवहन विभाग, बिहार पटना द्वारा चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र से मोबाईल नं0 लिंक नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश संसूचित है। सभी वाहन स्वामियों को निदेश दिया गया कि वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में मोबाईल नं0 अद्यतन करा लें अन्यथा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
37. ए0टी0एस0 द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र पर निर्णय :-राज्य सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के द्वारा वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मोटरयान निरीक्षक (MVI) को सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। परिवहन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 7795 दिनांक 15.05.2024 द्वारा फिटनेश प्रमाण पत्र का निर्गमण सक्षम प्राधिकार (मोटरयान निरीक्षक) के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर के उपरान्त VAHAN AFMS पोर्टल से करने हेतु निदेश संसूचित है। अतः ए0टी0एस0 द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र उक्त के अनुरूप नहीं होने के कारण प्राधिकार की बैठक में सर्वसम्मति से अवैध मानते हुए संबंधित वाहन के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।
38. (क) स्टेज कैरेज परमिट का स्वामित्व हस्तान्तरण :-
परमिट होल्ड करना :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।
(i) परमिट की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
(ii) प्राधिकार को की गई सूचना की स्वअभिप्रमाणित प्रति। (यदि लागू हो तो सक्षम प्राधिकार से निर्गत वंशावली)
(iii) वाहन स्वामी की स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड/मृत्यु की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र।
(ख) परमिट रिस्टोर करना :-
कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।
(i) परमिट की मूल प्रति।
(ii) वाहन के सभी मान्य कागजात की स्वअभिप्रमाणित प्रति।
(iii) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी का स्वअभिप्रमाणित आधार कार्ड।





(iv) प्रयोजन का साक्ष्य।

(v) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (मोबाईल नं० एवं पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(vii) स्वामित्व धारण करने वाले वाहन स्वामी फोटो (वाहन-6, वाहन स्वामी-1)

(viii) मोटरयान निरीक्षक, का जाँच प्रतिवेदन। (परमिट पुनर्स्थापित करने संबंधित वाहन का)

(ग) नये एजेंट अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।

(iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(v) आवेदक का फोटो-03

(घ) एजेंट अनुज्ञप्ति का नवीकरण हेतु आवेदन :-

कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना आवश्यक है।

(i) आवेदक का पहचान पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(ii) आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र (पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत)।

(iii) उम्र संबंधी प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(iv) शैक्षणिक प्रमाण प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(v) आवेदक का फोटो-02

(vi) एजेंट अनुज्ञप्ति की मूल प्रति।

39. स्थायी स्टेज कैरेज परमिट से संबंधित प्राधिकार का अन्य निर्णय :-

(i) बिहार मोटरयान नियमावली-1992 के नियम-79(1)(c) के अनुसार स्टेज कैरेज परमिट आवृत वाहनों को यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्राधिकार द्वारा अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार निर्धारित रूट पर नियमित रूप से परिचालन किया जाना है। अतः स्थायी परमिट से आवृत बसों को यात्री हित में देखते हुए स्पेशल परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा। केवल स्पेयर वाहनों/बसों को ही स्पेशल परमिट दिया जाएगा।

(ii) परमिट से आवृत वाहनों का परिचालन अनुमान्य दूरी के अनुरूप किया जाना है, वाहन स्वामियों का दायित्व है कि निर्धारित समय सीमा में वाहनों को उच्च मॉडल से प्रतिस्थापन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

(iii) बस में व्यावसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(iv) बिहार मोटरयान नियमावली-1922 के नियम-16(c) एवं 29(l) के अनुसार वाहन चालक तथा कंडक्टर का दायित्व है कि वाहन के यात्री कम्पार्टमेंट को साफ एवं स्वच्छ रखें जिससे यात्रियों के स्वास्थ्य-रक्षा सुनिश्चित हो सके, उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों/कंडक्टरों/वाहन स्वामियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


(v) परमिट शर्तों के अनुसार वाहनों को परमिट में अनुमोदित मार्ग सं० तथा प्रस्थान एवं गंतव्य स्थान से संबंधित सही जानकारी प्रदर्शित किया जाना है। उदाहरण के लिए यदि एक परमिट आवृत वाहन को X स्थान से प्रस्थान कर Z तक जाना है तथा दूसरी परमिट आवृत वाहन को उसी मार्ग के X स्थान से


[Handwritten signatures]


प्रस्थान कर Y तक जाना है, Y स्थान XZ के बीच का पड़ाव है। यदि दूसरी वाहन द्वारा प्रस्थान एवं गंतव्य स्थान में XZ प्रदर्शित कर यात्रियों को बैठाया जाता है एवं यात्रियों को मार्ग के मध्य पड़ाव पर गाड़ी बदलने को कहा जाता है/उतार दिया जाता है, तो इस प्रकार से गलत जानकारी प्रदर्शित कर यात्रियों को भ्रमित कर बैठाना परमिट शर्तों का उल्लंघन है। इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

- (vi) किसी भी स्थिति में आवेदित समय-सारणी (Time-Table) में सुधार/संशोधन नहीं किया जाएगा।
40. परमिट संबंधी मामलों में जनहित एवं जीवनक्षति को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त के अलावे प्राधिकार द्वारा अन्य निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था बनाने में वाहन स्वामियों, आपत्तिकर्ताओं एवं अन्य पक्षकारों से अपेक्षाओं के साथ अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।


अपर/सिमाहर्ता,
(राजस्व)
मुजफ्फरपुर।


12.12.24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।


12/12/24
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक.....4282...../

मुजफ्फरपुर, दिनांक.....12/12/2024.....

प्रतिलिपि :- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी अपर जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

November-2024

देशीय पापकन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की कार्यवाही

दिनांक-12.12.2024 की कार्यावली।

समय:-11:00 बजे पूर्वाह्न से,

स्थान:-आयुक्त कार्यालय, प्रकोष्ठ

३

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-12.12.2024 की कार्यावली।

पृष्ठ सं०

कार्यावली सं०-(1)	1	गत बैठक दिनांक 14.11.2024 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट-I		
कार्यावली सं०-(2)	प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		परिशिष्ट-II		
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट - (01 से 28 दिन) तक।			
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।			
	(III)	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)			
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)			
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।			
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची।			
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामंतरित एवं रद्द किये गये परमिटों की सूची।	परिशिष्ट-III		
कार्यावली सं०-(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-IV		
		माह अक्टूबर 2024 के लंबित आवेदन।			
	(ii)	एजेन्ट लाईसेन्स के प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-V		
		अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लंबित आवेदन पर विचार।			


कार्यावली संख्या-2(I-V) परिशिष्ट-II

प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 01.11.2024 से 30.11.2024 तक।

1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2024-SPL-6584A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।







कार्यावली संख्या-2 (VI) परिशिष्ट-II					
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1	धिरेन्द्र प्रताप सिंह, पता-टंकी बाजार वार्ड नं०-3 मेन रोड वाल्मिकीनगर, पश्चिम चम्पारण।	BR06PE-8545	304	5/9/2029	
2	उदय शंकर प्रसाद सिंह, पता-मझौली धर्मदास, पो०-शेरपुर मुजफ्फरपुर।	BR06PB-9543	264/2014	8/10/2029	
3	जाटा शंकर सिंह, पता-रामपुरवा वासीस्थान, वाल्मिकीनगर, पश्चिम चम्पारण।	BR06PE-9845	276/2019	5/9/2029	
4	उदय शंकर प्रसाद सिंह, पता-मझौली धर्मदास, पो०-शेरपुर मुजफ्फरपुर।	BR06PC-1843	263/2014	8/10/2029	
5	शीत बसंत ट्रॉन्सकॉर्प प्रा०लि०, पता-शीत बसंत फ्युल सर्विस एन० एच० 28 कॉटी कसबा के सामने, मुजफ्फरपुर।	BR06PE-2696	424/2019	12/9/2029	
6	आलोक रंजन झा, पता-बेल थाना-बैरगिनिया, सीतामढ़ी।	BR05PA-4751	277/2019	5/9/2029	
7	बिना देवी, पता-हरदियाबाद दामोदरपुर पंचायत पूर्वी चम्पारण।	BR06PE-8534	278/2019	5/9/2029	
8	बिनय कुमार, पता-राजेन्द्रनगर पटना।	BR06PD-4221	317/2019	7/9/2029	
9	राजेश कुमार, पता-प्रभात नगर कॉलोनी भगवानपुर सदर, मुजफ्फरपुर।	BR06PE-5551	360/2019	9/9/2029	
10	जिवेन्द्र कुमार चौरसिया, पता-बेला, पो०-हरिनगर पश्चिम चम्पारण।	BR06PB-8925	000159/2014	20/09/2029	
11	संजय कुमार सिंह, पता-हरदियाबाद दामोदरपुर पंचायत हरदियाबाद पूर्वी चम्पारण।	BR06PE-8134	373/2019	10/9/2029	
12	बिना देवी, पता-हरदियाबाद दामोदरपुर पंचायत पूर्वी चम्पारण।	BR06PD-7034	371/2019	10/9/2029	

* * ✓

कार्यावली संख्या-3(i) - परिशिष्ट-IV

नवम्बर-2024

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निवहन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अशुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
1	1	श्री विक्रम कुमार पिता-जयलाल प्रसाद, पता-ग्राम-पो-का शीपुर राजेपुर वार्ड नं०-13 जिला-पूर्वी चम्पारण, बैनर-द लाईन वॉडिंगार्ड।	बी.आर. 06 पी. एफ.-1082 01.03.2021 मॉडल 2021	बी.आर. 06 पी.एफ.-1082 टेक्स-25.02.2025 फिटनेश-09.03.2025 इस्थुरेंस-25.02.2025 प्रदूषण-28.02.2025 वीएलटीडी-01.03.2025 एचओएसओपी- है। जुर्माना- 7500/-	मार्ग संख्या-2471 सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। भाया-बोहा, रादा, सैदपुर, झपहाँ, द्रोणपुर, सहबाजपुर। प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०- 03:38, 07:55, 11:33, 17:46, 21:43 मुजफ्फरपुर प्र०- 06:13, 09:49, 13:26, 19:38, 23:23	1. आपत्तिकर्ता- श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह, वास्ते प्रेम कुमार चौधरी, वाहन सं०-बी० आर० 06 जी०सी०-7507, परमिट सं०-बी०आर०/105/एस०सी०/250/2006, मार्ग संख्या-4870, नरंगा से मिठापुर पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-07.55, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-07.55 समय अंतराल शून्य। 2. आपत्तिकर्ता- श्री अमित कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०ए०-4751 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2138ए० मार्ग संख्या-4798, यदुपट्टी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-07.55, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-07.54 समय अंतराल 1 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता- श्री सत्यनारायण राय वास्ते रामबाबु राय, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०ए०-9861, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2193ए० पटना से सीतामढ़ी। मार्ग संख्या-4821 आवेदक सीतामढ़ी प्र०-17.46, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-17.49 समय अंतराल 3 मिनट। 4. आपत्तिकर्ता- गौधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति कैरियर्स प्र०लि०, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०डी०-9751, परमिट सं०-बी०आर० 2022-एस०सी०-1005ए० मार्ग सं०-4822, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-21.43, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-21.45 समय अंतराल 2 मिनट। 5. आपत्तिकर्ता- चंदन कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-2461 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2541ए० सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। मार्ग सं०-2471, आवेदक सीतामढ़ी प्र०-11.33, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-11.34 समय अंतराल 1 मिनट।	1. बी.आर. 06 जी०सी०-7507 टेक्स-05.01.2025, फिटनेश-04.02.2026, इस्थुरेंस-28.12.2024 प्रदूषण-19.04.2025, वीएलटीडी-03.01.2026, एचओएसओपी-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 30 पी०ए०-4751 टेक्स-19.02.2025, फिटनेश-21.05.2025, इस्थुरेंस-21.05.2025 प्रदूषण-20.05.2025, वीएलटीडी-05.08.2025, एचओएसओपी-है। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 30 पी०ए०-9861 टेक्स-20.12.2024, फिटनेश-20.09.2025, इस्थुरेंस-05.10.2025 प्रदूषण-18.03.2025, वीएलटीडी-20.07.2025, एचओएसओपी-है। जुर्माना-नहीं। 4. बी.आर. 06 पी०डी०-9751 टेक्स-29.12.2024, फिटनेश-19.06.2026, इस्थुरेंस-28.02.2025 प्रदूषण-06.08.2025, वीएलटीडी-19.03.2026, एचओएसओपी-है। जुर्माना-नहीं। 5. बी.आर. 06 पी०सी०-2461 टेक्स-02.12.2024, फिटनेश-17.07.2025, इस्थुरेंस-27.02.2025 प्रदूषण-07.06.2025, वीएलटीडी-06.06.2025, एचओएसओपी-नहीं। जुर्माना-नहीं।	एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त आवेदन वापस लिया गया।	आवेदन वापस	

✍

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निम्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
2	2	श्री शशि रंजन कुमार, पिता-हेमचन्द्र झा, पता-वार्ड नं०-9 नियर हनुमान मंदिर, बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-MMPPY	बी.आर. 30 पी. ए- 5351 ए- 5351 01.08.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 30 पी.ए- 5351 टैक्स-23.01.2025 फिटनेश-31.07.2026 इन्शुरेंस-30.07.2025 प्रदूषण-31.07.2025 वीएलटीडी-02.08.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। माया-परसौनी। प्रतिदिन नौ खेप जाना आना। बेलसंड प्र०-06:25, 07:21, 08:26, 09:20, 11:20, 12:25, 13:25, 15:00, सीतामढ़ी प्र०-06:56, 07:46, 08:51, 10:29, 11:45, 12:55, 14:13, 16:05, 17:00	1. आपत्तिकर्ता- श्री चन्द्रमणी कुमार वास्ते विपुल रंजन, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी० -1867, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2874ए०, मार्ग संख्या-2344, बेलसंड से सीतामढ़ी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अन्तर्गत क्रय किया गया है, जिसका परिचालन MMPPY अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही किया जाना है। वाहन स्वामी के अन्य वाहनों पर टैक्स, बकाया है एवं फिटनेश, बिमा फेल है। 2. आपत्तिकर्ता- श्री धीरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 24 पी० -5912, परमिट सं०-बी०आर०2023-एस०सी०-2927ए० मार्ग संख्या-2344, बेलसंड से सीतामढ़ी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अन्तर्गत क्रय किया गया है, जिसका परिचालन MMPPY अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही किया जाना है, जबकि वाहन स्वामी द्वारा मुख्य मार्ग पर आवेदन किया गया है, जो गलत है।	1. बी.आर.30 पी०-1867 टैक्स-29.01.2025 फिटनेश-05.09.2025 इन्शुरेंस-28.08.2025 प्रदूषण-05.09.2025 वीएलटीडी-02.08.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 24 पी०-5912 टैक्स-04.01.2025 फिटनेश-18.03.2025 इन्शुरेंस-22.02.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-07.10.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	दोनों आपत्ति समाप्त। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर आवेदन नहीं किया गया है। आपत्ति मान्य है।		अस्वीकृत।
3	3	श्रीमती रेणु मिश्रा, पति-सत्येन्द्र मिश्रा, पता-नियर अजय वर्मा नर्सिंग होम, गोपालपुर, मोतीहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-मिश्रा बन्धु।	बी.आर. 06 पी. डी.-7689 डी.-7689 05.05.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 06 पी.डी.-7689 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-11.12.2025 इन्शुरेंस- 26.04.2025 प्रदूषण-11.02.2025 वी.एल.टी.डी.-10.07.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2465 रक्सौल से सिदान। माया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, सिवान। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-05:56 सिवान प्र०-11:41	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

६ * ७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निकलन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
4	4	श्री अतुल रंजन, पिता-जय प्रकाश तिवारी, पता-बालूघाट बेरई निवास, मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-मंगला।	बी.आर. 06 पी. डी.-9801 डि.-9801 20.09.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 06 पी. डी.-9801 टैक्स-19.12.2024 फिटनेश-25.09.2025 इन्श्युरेंस-15.07.2025 प्रदूषण-05.05.2025 वीएलटीडी-26.09.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-2740 सीतामढ़ी से भिठामोड़। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन तीन खेप आना-जाना। सीतामढ़ी प्र०-08:30, 10:35, 14:09 भिठामोड़ प्र०-09:30, 12:20, 18:11	1. आपत्तिकर्ता- श्री मनोज कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०-7297 का कहना है कि आवेदित वाहन परमिट से आवृत है, जो आवेदित मार्ग से भिन्न मार्ग पर है। प्राधिकार के निर्णय अनुसार परमिट से आवृत वाहनों के लिए किसी अन्य मार्ग पर आवेदन हेतु परमिट प्रत्यर्पित करना अनिवार्य है, परंतु वाहन स्वामी द्वारा बिना परमिट का प्रत्यर्पण किये दूसरे मार्ग पर आवेदन किया गया है एवं परमिट फेल रहने के पश्चात भी वाहन का परिचालन किया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है। 2. आपत्तिकर्ता- श्री राजेश कुमार चौधरी का कहना है कि वाहन स्वामी का वाहन मंगला रथ बैनर के तहत परिचालित होता है, जिसके संचालक दुष्यंत कुमार सिंह है। उक्त बैनर के तहत परिचालित 2 वाहनों बी०ई० एफ०-8751 एवं बी०आर० 06 ए०-8751 पर टैक्स बकाया है, जो m-parivahan पर भी देखा जा सकता है। 3. आपत्तिकर्ता- शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 08 पी० सी० -4318, परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-1386ए०, मार्ग सं०-2740 डाउन, भिठामोर से सीतामढ़ी। आवेदक भिठामोर प्र०-09:30, आपत्तिकर्ता भिठामोर प्र०-09.35 आवेदक सुरसंड प्र०- 09:42, आपत्तिकर्ता सुरसंड प्र०-09.44 मुख्य बिन्दु पर समय अंतराल 5 मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 2 मिनट। वाहन सं०-बी०आर० 30 पी० 3684 परमिट सं०-148/2014 मैनुअल परमिट, सीतामढ़ी से भिठामोर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-08:30, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-08:28, समय अंतराल 2 मिनट।	बी.आर. 30 पी०-7297 टैक्स-04.12.2024 फिटनेश-19.09.2025 इन्श्युरेंस-05.09.2025 प्रदूषण-08.08.2025 वीएलटीडी-17.10.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।			

आपत्ति 1 के
आलोक में
अस्वीकृत।

३

४

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
5	5	श्री अंगेश चौधरी, पिता-श्री रामनिहोरा चौधरी, पता-सकसदपुरा, एस०डी०ओ० रोड, हाजीपुर, जिला-वैशाली। बैनर का नाम-अमन ट्रेवल्स।	बी.आर. 01 पी.आर.-2146 आर-2146 24.07.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 01 पी.आर.-2146 टैक्स-17.01.2025 फिटनेश-23.07.2026 इन्श्युरेंस-17.07.2025 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-14.07.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4874 फेनहारा से मिठापुर पटना। भाया-मेजरगंज, रीगा, जानकीस्थान, सीतामढ़ी, डूमरा, बोहा चौक, गाढ़ा, माणिक चौक, रौदपुर, झपहॉ, द्रोणपुर, सहबाजपुर, मुजफ्फरपुर बैरिया, गोबरसही, सकरी, तुर्की, जतकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। फेनहारा प्र०-03:35, 14:00 मिठापुर पटना प्र०-08:48, 19:39	1. आपत्तिकर्ता- श्री मनोज कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०ए०-8899 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-1859ए०, मार्ग संख्या-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.41, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.43 समय अंतराल 2 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता- श्रीमति प्रियंका, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० एफ०-3782 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-1501ए० मार्ग संख्या-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-21.48, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-21.48 समय अंतराल शून्य। 3. आपत्तिकर्ता- श्री सुमन्य सोरभ वास्ते श्रीमति सुमन देवी वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०ई०-7996, परमिट सं०-बी०आर० 2020-एस०सी०-0008ए० मार्ग सं०-2619, पटना से घोड़ासाहन। आवेदक पटना प्र०-19.39, आपत्तिकर्ता पटना प्र०-19.39 समय अंतराल शून्य। 4. आपत्तिकर्ता-गाँधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रेमल्स, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-6851 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2186ए० सीतामढ़ी से पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-05.03, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-05.05 समय अंतराल 2 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी०ए०-8899 टैक्स-07.12.2024, फिटनेश-24.11.2025, इन्श्युरेंस-03.12.2025 प्रदूषण-19.11.2025, वीएलटीडी-24.01.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी०एफ०-3782 टैक्स-06.02.2025, फिटनेश-07.05.2025, इन्श्युरेंस-19.04.2025 प्रदूषण-25.02.2025, वीएलटीडी-17.03.2026, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 06 पी०ई०-7996 टैक्स-24.02.2025, फिटनेश-23.02.2025, इन्श्युरेंस-01.02.2025 प्रदूषण-22.02.2025, वीएलटीडी-24.02.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-4500/ 4. बी.आर. 06 पी०एफ०-6851 टैक्स-10.01.2025, फिटनेश-04.04.2025, इन्श्युरेंस-14.03.2025 प्रदूषण-11.04.2025, वीएलटीडी-02.04.2025, एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट आवश्यक है परन्तु समय-सारणी में 2 मिनट अंकित है। आपत्ति मान्य। सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अंतराल शून्य। आपत्ति मान्य। पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट आवश्यक है। समय अंतराल शून्य। आपत्ति मान्य। सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 2 मिनट। आपत्ति मान्य।		दोनों खेप कटाव के कारण अस्वीकृत। आपत्तिकर्ता 3 पर बकाया राशि के अतिरिक्त रू० 10000/-जुर्माना अधिरोपित।

४

*

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
6	7	श्रीमती हेमा देवी, पति-हरिशंकर झा, पता-वार्ड नं०-9, बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- चंदन बेलसंड।	बी.आर. 06 पी. एफ.-8568 एफ.-8568 15.09.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 पी.एफ.-8568 टैक्स-12.12.2024 फिटनेश-14.09.2025 इन्श्युरेंस-13.09.2025 प्रदूषण-14.09.2025 वीएलटीडी-14.09.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ-जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2344 बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसीनी। प्रतिदिन आठ खेप जाना आना। बेलसंड प्र०-07:39, 08:45, 09:45, 10:40, 11:47, 12:50, 14:10, 16:00 सीतामढ़ी प्र०-08:14, 09:12, 10:15, 11:15, 12:12, 13:24, 14:35, 16:34	1. आपत्तिकर्ता- श्री चन्द्रमणी कुमार वास्ते विपुल रंजन कुमार,, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी० -1867, परमिट सं०-बी०आर०2023-एस०सी०-2874ए० मार्ग संख्या-2344, बेलसंड से सीतामढ़ी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदिका के अन्य वाहन सं०-बी०आर० 55 3625 का बिमा एवं फिटनेश फेल है। आवेदिका के पति हेमचन्द्र झा (हरिशंकर झा) के नाम से निबंधित वाहन सं०-बी०आर० 06 पी० 8119 पर अगस्त 2002 से टैक्स बकाया होने के कारण प्राधिकार द्वारा पूर्व के बैठक 31.10.2023, क्रमांक 11 पर परमिट अस्वीकृत किया गया था। 2. आपत्तिकर्ता- श्री धीरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 24 पी० -5912, परमिट सं०-बी०आर०2023-एस०सी०-2927ए० मार्ग संख्या-2344, बेलसंड से सीतामढ़ी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदिका के अन्य वाहन सं०-बी०आर० 55 3625 का बिमा एवं फिटनेश फेल है। आवेदिका के पति हेमचन्द्र झा (हरिशंकर झा) के नाम से निबंधित वाहन सं०-बी०आर० 06 पी० 8119 पर अगस्त 2002 से टैक्स बकाया होने के कारण प्राधिकार द्वारा पूर्व के बैठक 31.10.2023, क्रमांक 11 पर परमिट अस्वीकृत किया गया था।	1. बी.आर. 30 पी०.-1867 टैक्स-29.01.2025 फिटनेश-05.09.2025 इन्श्युरेंस-28.08.2025 प्रदूषण-05.09.2025 वीएलटीडी-02.08.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 24 पी०.-5912 टैक्स-04.01.2025 फिटनेश-18.03.2025 इन्श्युरेंस-22.02.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-07.10.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	दोनों आपत्ति समान। सॉफ्टवेयर से मिलान करने पर हेमचन्द्र झा के नाम से निबंधित वाहन सं० पर बी०आर० 06 पी० 8119 टैक्स बकाया प्रदर्शित नहीं हो रहा है। आवेदिका के नाम से निबंधित वाहन संख्या बी०आर० 55 3625 परमिट से आयुत है, जिसकी वैधता 16.08.2025 तक है। उक्त वाहन का बीमा एवं फिटनेश फेल है आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत।

३

४

५

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निचबन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण.	निर्णय
7	8	श्रीमती सुनिता सिन्हा, पति-अनिल सिंह, पता-कौटा, सुस्ता टोक, कौटा पिसौछा, जला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-द लाईन बोर्डिंगार्ड।	बी.आर. 06 पी.ई.-4249 ई-4249 06.09.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-4249 टैक्स-27.11.2024 फिटनेश-12.09.2025 इन्श्युरेंस-06.09.2025 प्रदूषण-08.09.2025 वीएलटीडी-28.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ जुर्माना-नहीं।	मार्ग सं०-2471 सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। नाया-बोहा, गाढ़ा, सैदपुर, झपहॉ, द्रोणपुर, सहबाजपुर। प्रतिदिन चार खेप आना जाना। सीतामढ़ी प्र०-03:01, 07:19, 11:32, 18:03 मुजफ्फरपुर प्र०-04:36, 09:11, 13:11, 20:41	1. आपत्तिकर्ता श्री अभिषेक कुमार का कहना है कि आवेदित वाहन पर पूर्व से परमिट निर्गत है, जिसकी वैधता 25.11.2028 तक है। प्राधिकार का निर्णय है कि परमिटेड वाहन से आवेदन के पूर्व परमिट सरेंडर करना आवश्यक है। आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी भी त्रुटिपूर्ण है। 2. आपत्तिकर्ता- श्री चंदन कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-2461, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2541ए० मार्ग संख्या-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-11.32 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-11.34 समय अंतराल 2 मिनट।	2. बी.आर. 06 पी०सी०.-2461 टैक्स-02.12.2024 फिटनेश-17.07.2025 इन्श्युरेंस-27.02.2025 प्रदूषण-07.06.2025 वीएलटीडी-06.06.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदित वाहन का परमिट बेतिया / जहानाबाद मार्ग पर दिनांक 26.04.2023 को एस०टी०ए० पटना द्वारा निर्गत है। परमिट प्रत्यर्पित किये शिना आवेदन किया गया है। अतः आपत्ति मान्य है। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान है। सीतामढ़ी प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 7 मिनट आवश्यक है। समय अन्तराल 2 मिनट। आपत्ति मान्य।		परमिट प्रत्यर्पण नहीं होने के कारण अस्वीकृत।

३ ४

५

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अम्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
8	9	श्री मनोज कुमार, श्री विन्देश्वर सिंह, पता-ग्राम-गोधट, वार्ड नं०-02, पो०-धुम्मा, थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- नहीं।	बी.आर. 30 पी.-7297 18.09.2014 मॉडल 2014	बी.आर. 30 पी.-7297 टेक्स-04.12.2024 फिटनेश-19.09.2025 इन्श्युरेंस-05.09.2025 प्रदूषण-08.08.2025 वीएलटीडी-17.10.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 सीतामढ़ी से भिठामोड़। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन पॉच खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०-03:40, 08:30, 14:09, 17:51, 21:20 भिठामोड़ प्र०-04:51, 12:20, 16:41, 19:37, 22:20	1. आपत्तिकर्ता- श्री अतुल रंजन, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०डी०-9801 मार्ग सं०-2740, सीतामढ़ी से भिठामोड़। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-08.30, 14:09, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-08.30, 14:09 समय अंतराल शून्य। आवेदक भिठामोर प्र०-12.20 आपत्तिकर्ता भिठामोर प्र०-12.20 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार पहले आओ पहले पाओ के तहत मेरे द्वारा ज्ञापांक 632 से क्रमांक 04 पर आवेदन किया गया है। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा प्राईवेट संस्था से निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र एवं विड स्क्रीन रिपोर्ट संलग्न किया गया है।	1. बी.आर. 06 पी०डी०-9801 टेक्स-19.12.2024 फिटनेश-25.09.2025 इन्श्युरेंस-15.07.2025 प्रदूषण-05.05.2025 वीएलटीडी-26.09.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदक द्वारा MVI से निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र जमा किया गया है। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान है। सीतामढ़ी एवं भिठामोड़ पर समय अन्तराल शून्य है। आपत्ति 1 के आलोक में द्वितीय एवं तृतीय खेप कटाव।		आपत्ति 2 के आलोक में द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
						2. आपत्तिकर्ता- शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०-3684, मैनुअल परमिट। परमिट सं०-148/2014 सीतामढ़ी से भिठामोर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-08.30 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-08.28 समय अंतराल 2 मिनट।	2. बी.आर. 30 पी०-3684 टेक्स-19.12.2024 फिटनेश-05.06.2025 इन्श्युरेंस-27.04.2025 प्रदूषण-12.07.2025 वीएलटीडी-23.10.2025 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	आपत्ति 2 के आलोक में द्वितीय खेप कटाव।		

३

*

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / विवरण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अन्वुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
9	10	श्रीमती मोनी कुमारी, पति-श्री अश्वनी कुमार, पता-मकसदपुरा, हाजीपुर, जिला-वैशाली। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 01 पी.आर.-2147 आर.-2147 24.07.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 01 पी.आर.-2147 टैक्स-17.01.2025 फिटनेश-23.07.2026 इन्श्युरेंस-17.07.2025 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-21.07.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4827 बैरंगनिया से पटना। माया-ड्रेंग, रीगा, जानकीस्थान, सीतामढ़ी, डूमरा, प्रेमनगर, रून्नीसैदपुर, खनुआघाट, टेंगराहा, पीपरा, बैरिया मुजफ्फरपुर, रामदयालुनगर, फकुली, जतकोलीघाट, लालगंज, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। बैरंगनिया प्र०-03:42, 14:30 पटना प्र०-09:17, 19:21	1. आपत्तिकर्ता- श्री उमेश कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-1758, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-1876ए०, मार्ग संख्या-4821 डाउन, सीतामढ़ी से पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.27, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.33 समय अंतराल 6 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता- अम्बिका ट्रेभल्स पार्टनर कौशल किशोर सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-8636, परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2043ए०, मार्ग संख्या-3471, बैरंगनीया से मिठापुर पटना। आवेदक बैरंगनीया प्र०-03.42, आपत्तिकर्ता बैरंगनीया प्र०-03.47 समय अंतराल 5 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता- श्री गोपाल कुमार गोयनका, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-7243, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2590ए०, मार्ग संख्या-4868, लालवंदी से मिठापुर पटना। आवेदक मुज० बैरिया प्र०-21.25, आपत्तिकर्ता मुज० बैरिया प्र०-21.25 समय अंतराल शून्य। 4. आपत्तिकर्ता- मनोज कुमार सिंह वास्ते मेसर्स आनन्द ट्रेभल्स, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०डी०-7716, परमिट सं०-375/2019, पटना से मेजरगंज। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.28, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.27 समय अंतराल 1 मिनट। वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-9049 परमिट सं०-99/2011, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-21.35, आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-21.26 समय अंतराल 1 मिनट। आवेदक द्वारा प्रकाशित समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है एवं न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। 5. आपत्तिकर्ता- गौधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रेभल्स, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०ए०-7172, परमिट सं०-बी०आर० 2022-एस०सी०-1008ए०, मार्ग सं०-4822, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-04.48, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-04.47 समय अंतराल 1 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी०एफ०-1758 टैक्स-12.01.2025, फिटनेश-27.07.2025, इन्श्युरेंस-12.07.2025 प्रदूषण-11.10.2025, वीएलटीडी-22.07.2025, एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 2 बी.आर. 06 पी०सी०-8636 टैक्स-31.01.2025, फिटनेश-02.02.2026, इन्श्युरेंस-28.01.2025 प्रदूषण-03.10.2025, वीएलटीडी-25.10.2025, एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 06 पी०एफ०-7243 टैक्स-01.12.2024, फिटनेश-02.07.2025, इन्श्युरेंस-07.07.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-नहीं। एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 4. बी.आर. 06 पी०डी०-7716 टैक्स-04.02.2025, फिटनेश-27.09.2026, इन्श्युरेंस-31.05.2025 प्रदूषण-24.10.2025, वीएलटीडी-10.11.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 5. बी.आर. 06 पी०ए०-7172 टैक्स-28.01.2025, फिटनेश-21.07.2025, इन्श्युरेंस-09.04.2025 प्रदूषण-13.07.2025, वीएलटीडी-28.06.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है परन्तु समय अन्तराल 6 मिनट। आपत्ति अमान्य। बैरंगनीया प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। समय अन्तराल 5 मिनट। आपत्ति अमान्य। मुजफ्फरपुर बैरिया मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। आपत्ति मान्य। सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। समय अन्तराल 1 मिनट। साथ ही डूमरा से सीतामढ़ी 8 कि०मी० की दूरी तय करने में समय 30 मिनट। गति 16 कि०मी०/घंटा। न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन। आपत्ति मान्य। मध्य बिन्दु सीतामढ़ी पर समय अन्तराल 1 मिनट। आपत्ति मान्य।			न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।

✍ ✍ ✍

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
10	11	मिक्की कुमारी, पिता-रमेश कुमार, पत्नी-प्राग-चपता, उजियारपुर, जिला-समस्तीपुर। बैनर का नाम-नितु राजा।	बी.आर. 06 पी. ए.-9287 ए.-9287 06.01.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 06 पी. ए.-9287 टैक्स-05.01.2025 फिटनेश-28.10.2025 इन्श्युरेंस-13.10.2025 प्रदूषण-07.10.2025 वीएलटीडी-24.11.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3755 पुपरी से मुजफ्फरपुर। माया-रायपुर, महुआगाछी, रुन्नीसैदपुर, जनार, कोरलहिया, जनार, झपहॉं, द्रोणपुर, सहबाजपुर, न्युजिरोमाईल। प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। पुपरी प्र0-04:30, 10:27, 18:23 मुजफ्फरपुर प्र0-06:29, 14:03, 20:10	1. आपत्तिकर्ता- श्री प्रसून कुमार वास्ते पियुष कुमार, वाहन सं0-बी0 आर0 30 पी0ए0-2429 परमिट सं0-बी0आर0/106/एस0सी0/बस/2019/9 मार्ग संख्या-3754, पुपरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-14.03 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-01.59 समय अंतराल 4 मिनट। 2. वाहन सं0-बी0 आर0 30 पी0ए0-2427 आवेदक पुपरी प्र0-10.27 आपत्तिकर्ता पुपरी प्र0-10.29 समय अंतराल 2 मिनट। 3. वाहन सं0-बी0 आर0 30 पी0ए0-0821 परमिट सं0-बी0आर0 2023 एस0सी0 1386A आवेदक महुआगाछी प्र0-11.04 आपत्तिकर्ता महुआगाछी प्र0-11.07 समय अंतराल 3 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि मुजफ्फरपुर जिरोमाईल से रुन्नीसैदपुर की 32 कि०मी० दूरी प्रथम खेप में 1 घंटा 14 मिनट, द्वितीय खेप में 1 घंटा 04 मिनट एवं तृतीय खेप में 1 घंटा 13 मिनट में तय किया जा रहा है। अतः न्यूनतम गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।	1. बी.आर. 30 पी0ए0-2429 टैक्स-31.01.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-13.05.2025 प्रदूषण-05.02.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 30 पी0ए0-2427 टैक्स-31.01.2025 फिटनेश-16.11.2025 इन्श्युरेंस-03.05.2025 प्रदूषण-11.03.2025 वीएलटीडी-29.07.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 30 पी0ए0-0821 टैक्स-04.02.2025 फिटनेश-18.01.2025 इन्श्युरेंस-11.12.2024 प्रदूषण-09.12.2024 वीएलटीडी-16.01.2025 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर 3 मिनट समय अन्तराल निर्धारित है। आपत्ति अमान्य। आपत्ति 2 से द्वितीय खेप कटाव। मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट निर्धारित है। महुआगाछी मध्य बिन्दु है साथ ही गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः आपत्ति अमान्य।		द्वितीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।

३

*

०२

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्वाह की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
11	12	श्रीमती उजाला भारती, पिता—श्री शैलेन्द्र सिंह, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पता—परिवहन भवन बीरचन्द्र पटेल पथ पटना। बैनर का नाम—नहीं।	बी.आर. 06 पी. पी.एफ.—1744 20.07.2021 मॉडल 2021	बी.आर. 06 पी.एफ.—1744 टैक्स—16.01.2025 फिटनेश—07.08.2025 इन्श्युरेंस—18.07.2025 प्रदूषण—25.01.2025 वीएलटीडी—17.07.2025 एच0एस0आर0पी0—हैं। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—4793 मिठामोड़ से पटना। भाया—सुरसंड, सोनवर्षा, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन, सैदपुर, मुजफ्फरपुर इमलीचट्टी, रामदयालु, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मिठामोड़ प्र०—10:02 पटना प्र०—21:15	आपत्तिकर्ता— श्री अमन कुमार का कहना है कि वाहन स्वामी द्वारा आवेदित समय सारणी त्रुटिपूर्ण है इसमें मार्ग संख्या के अनुसार सभी भाया अंकित नहीं किया गया है। सुरसंड से सोनबरसा के बीच 15 कि०मी० की दूरी अप ट्रिप में 24 मिनट एवं डाउन ट्रिप 20 मिनट तय किया जा रहा है, जो गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		आपत्ति के आलोक में जॉचोपशान्त गतिसीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित मार्ग एवं भाया के अनुसार समय—सारणी में भाया अंकित नहीं है। समय—सारणी त्रुटिपूर्ण।		अस्वीकृत।
12	14	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, पिता—श्री राम सुभार सिंह, पता—ग्राम+पो0— वार्ड 15 वरान्त बिहार नाहर चौक राजोपट्टी, थाना—सीतामढ़ी, जिला—सीतामढ़ी। बैनर का नाम—नहीं।	बी.आर. 30 पी. ए.—1855 19.08.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 30 पी. ए.—1855 टैक्स—18.02.2025 फिटनेश—12.08.2025 इन्श्युरेंस—02.10.2025 प्रदूषण—03.10.2025 वीएलटीडी—09.08.2025 एच0एस0आर0पी0—हैं। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—4834 भिसवा बाजार से पटना। भाया—परिहार, सुरसंड, रसलपुर, पुपरी, महुआगाछी, रुन्नीसैदपुर, झपहों, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। भिसवा बाजार प्र०—04:33 पटना प्र०—15:35	आपत्तिकर्ता श्री अमन कुमार का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार समय सारणी के प्रकाशन में पूर्ण भाया भी अंकित होना अनिवार्य है। आवेदित वाहन के समय सारणी के प्रकाशन में मार्ग के अनुरूप पूर्ण भाया अंकित नहीं है, साथ ही भिसवा बाजार से पटना आगमन एवं प्रस्थान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन/इमलीचट्टी अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है।		सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित मार्ग एवं भाया के अनुसार समय—सारणी में भाया अंकित नहीं है। समय—सारणी त्रुटिपूर्ण।		अस्वीकृत।

३

४

५

क्र० सं०	एजेन्डा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निर्वाहन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
13	17	शीत बसंत ट्रांसकोर्प प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर सुमंथ सोरभ, पता-शीत बसंत फ्यूल सर्विस, कोटी कसबा, धाना-कोटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-शीत बसंत।	बी.आर. 06 जी.एफ.-9896 एफ.-9896 28.09.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 जी.एफ.-9896 टैक्स-27.12.2024 फिटनेश-27.09.2025 इन्श्युरेंस-26.09.2025 प्रदूषण-19.09.2025 वीएलटीडी-02.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4752 बेतिया से पटना। भाया-छपवा, मोतिहारी, पिपराकोठी, कल्याणपुर, चकिया बाजार, साहेबगंज, मोतिपुर, महना बाजार, कोटी, पहाड़पुर, मुजफ्फरपुर, रामदयालु नगर, फकुली, जतकोलीघाट घाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। बेतिया प्र०-03:28 पटना प्र०-11:06	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

३

५

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
14	18	शीत बसंत ट्रॉस्कॉप प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर सुमंथ सौरभ, पता-शीत बसंत फ्यूल सर्विस, कॉर्टी कसबा, थाना-कॉर्टी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-शीत बसंत।	बी.आर. 06 जी.एफ.-9796 एफ.-9796 28.09.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 जी.एफ.-9796 टेक्स-27.12.2024 फिटनेस-27.09.2025 इन्श्युरेंस-26.09.2025 प्रदूषण-19.09.2025 वीएलटीडी-03.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4752 डाउन। पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, पहाड़पुर, कॉर्टी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-10:31 बेतिया प्र०-17:46	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
15	19	शीत बसंत ट्रॉस्कॉप प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर सुमंथ सौरभ, पता-शीत बसंत फ्यूल सर्विस, कॉर्टी कसबा, थाना-कॉर्टी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-शीत बसंत।	बी.आर. 06 जी.एफ.-9396 एफ.-9396 04.10.2023 मॉडल 2023	बी.आर. 06 जी.एफ.-9396 टेक्स-28.12.2024 फिटनेस-03.10.2025 इन्श्युरेंस-28.09.2025 प्रदूषण-02.10.2025 वीएलटीडी-03.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4752 डाउन। पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, पहाड़पुर, कॉर्टी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी, छपवा।	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

६

*

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
16	20	श्री उपेन्द्र ठाकुर, पिता-यदुनंदन ठाकुर, पता-नारायण भेरियाही, थाना-कोंटी, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-मोंट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी.डी.-8145 डी.-8145 13.06.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 06 पी.डी.-8145 टैक्स-27.11.2024 फिटनेश-28.08.2026 इन्श्युरेंस-17.08.2025 प्रदूषण-21.08.2025 वीएलटीडी-20.08.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4752 डाउन। पटना से बेतिया। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर, पहाड़पुर, कोंटी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोंटी, मोतिहारी, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-08:27 बेतिया प्र०-16:34	1. आपत्तिकर्ता- श्री रणवीर कुमार वास्ते अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, वाहन सं०-बी० आर० 34 पी०-1218 परमिट सं०-बी०आर० 2022 एस०सी०-0855ए० मार्ग सं०-4771 डाउन, मोतिहारी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-10.53 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-10.55 समय अंतराल 2 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता- श्री शम्भु राय, वाहन सं०-बी० आर० 55 पी०-2261 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2390ए० मार्ग संख्या-4821, पटना से सीतामढ़ी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-20.17 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-20.17 समय अंतराल शून्य।	1. बी.आर. 34 पी०-1218 टैक्स-31.12.2024 फिटनेश-17.05.2025 इन्श्युरेंस-13.01.2025 प्रदूषण-08.01.2025 वीएलटीडी-12.02.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 55 पी०-2261 टैक्स-16.12.2024 फिटनेश-22.09.2026 इन्श्युरेंस-16.09.2025 प्रदूषण-22.09.2025 वीएलटीडी- 09.10.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	वाहन सं०-बी० आर० 34 पी०-1218 जय किशोर साह के नाम से निर्बंधित है, उनके द्वारा आपत्ति समर्पित नहीं किया गया है। मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट निर्धारित है। मुजफ्फरपुर मध्य बिन्दु है समय अन्तराल शून्य। इसलिए आपत्ति मान्य।		अस्वीकृत।

६

६

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
17	21	श्री अरुण कुमार सिंह, मिता-नागेश्वर सिंह, पता-वार्ड नं०-03 सिंगरहिया, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम- बलराम।	बी.आर. 06 पी.ई.-0311 ई.-0311 05.11.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 06 पी.ई.-0311 टैक्स-29.12.2024 फिटनेस-23.04.2025 इन्श्युरेंस-01.12.2024 प्रदूषण-10.11.2025 वीएलटीडी-23.04.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4872 सहोरवा से पटना। भाया-रजवाड़ा, सोनबरसा, भूतही, सीतामढ़ी, बोहा चौक, गाढ़ा, रून्नीसेदपुर, झपहॉ, साहबाजपुर, बैरिया मुजफ्फरपुर, भगवानपुर चौक, सरैया, जतकोलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। सहोरवा प्र०-08:11, 21:05 पटना प्र०-15:10, 03:04	1. आपत्तिकर्ता- श्रीमती सुनिता सिन्हा, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-1118, परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2519ए०, मार्ग संख्या-4821, पटना से सीतामढ़ी। आवेदक पटना प्र०-15.10, आपत्तिकर्ता पटना प्र०-15.12 समय अंतराल 2 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा दिए गए समय सारणी में वाहन का परिचालन 27 घंटा प्रदर्शित हो रहा है एवं समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। 2. आपत्तिकर्ता- श्री शंकर प्रसाद सिंह वास्ते आलोक ट्रेमल्स वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० डी०-5516, परमिट सं०-बी०आर०/106/एस०सी०/578/2008, मार्ग संख्या-3759, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-10.12, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-10.14 समय अंतराल 2 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता- श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह वास्ते श्री प्रेम कुमार चौधरी, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-9551,द्वारा आपत्ति किया गया है कि आवेदित समय-सारणी अस्पष्ट/अपठनीय है। 4. आपत्तिकर्ता- श्री सुमन्थ सौरभ, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-9696 परमिट सं०-बी०आर०/106/एस०सी०/631/2008, पटना से मनुआपुल बौक। आवेदक पटना प्र०-03.04, आपत्तिकर्ता पटना प्र०-03.05 समय अंतराल 1 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार पटना में 3 मिनट का समय अंतराल होना चाहिए। 5. आपत्तिकर्ता-गौंधी प्रसाद सिंह वास्ते अमरनाथ पांडे, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-4051, परमिट सं०-176/2011 चरौत से पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-10.22, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-10.23 समय अंतराल 1 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी०एफ०-1118 टैक्स-26.02.2025, फिटनेस-16.03. 2025, इन्श्युरेंस-22.03.2025, प्रदूषण-03.07.2024, वीएलटीडी-10. 03.2025, एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-81500/ 2. बी.आर. 06 पी०डी०-5516 टैक्स-05.12.2024, फिटनेस-08.09. 2025, इन्श्युरेंस-05.09.2025 प्रदूषण-28.10.2025, वीएलटीडी-03. 08.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 06 पी०सी०-9551 टैक्स-23.02.2025, फिटनेस-27.10. 2025, इन्श्युरेंस-30.03.2025 प्रदूषण-29.09.2025, वीएलटीडी-25. 10.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं 4. बी.आर. 06 पी०एफ०-9696 टैक्स-13.02.2025, फिटनेस-12.02. 2025, इन्श्युरेंस-02.02.2025 प्रदूषण-15.02.2025, वीएलटीडी-08. 02.2025, एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-28500/ 5. बी० आर० 06 पी०एफ०-4051 टैक्स-11.02.2025, फिटनेस-05.05. 2026, इन्श्युरेंस-21.04.2025 प्रदूषण-30.04.2025, वीएलटीडी-19. 03.2026, एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट निर्धारित है। आपत्ति मान्य। मध्य बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट निर्धारित है। सीतामढ़ी मध्य बिन्दु है। आपत्ति मान्य। समय-सारणी पढ़ा जा सकता है। अपत्ति अमान्य। पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट निर्धारित है। आपत्ति मान्य। आपत्तिकर्ता द्वारा गलत आपत्ति दर्ज कराया गया है।		आपत्ति 1 एवं 4 के आलोक में अस्वीकृत। आपत्तिकर्ता 1 एवं 4 पर लंबित जुर्माना के अतिरिक्त रू० 10000/- जुर्माना अधिरोपित।

४ * ७

क्र० सं०	एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
18	22	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता—श्री जानकी शरण प्रसाद, पता—गंधीनगर, बगहा, जिला—पं० चम्पारण। बैनर का नाम—लव कुश सविंस।	बी.आर. 06 पी.बी.—8667 बी.—8667 03.08.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 06 पी.बी.—8667 टैक्स—21.01.2025 फिटनेस—01.11.2025 इन्श्युरेंस—27.10.2025 प्रदूषण—09.10.2025 वीएलटीडी—27.11.2025 एच०एस०आर०पी०—हॉ। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या— 3589 वाल्मिकीनगर से डोमवलिया। भाया—भेड़िहारी, नौरंगिया, वाल्मिकीनगर रोड, बगहा स्टेशन। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। वाल्मिकीनगर प्र०—05:33, 10:02, 13:58, 16:59 डोमवलिया प्र०—07:37, 12:01, 15:39, 18:07	1. आपत्तिकर्ता— श्रीमती उषा देवी, वाहन सं०—बी० आर० 22 पी०ए०—9445 परमिट सं०—बी०आर० 2023—एस०सी०—0848ए० मार्ग संख्या—3585, वाल्मिकीनगर गोल चौक से बेलिया। आवेदक वाल्मिकीनगर प्र०—05.33 आपत्तिकर्ता वाल्मिकीनगर गोल चौक प्र०—05.39 समय अंतराल 6 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता कहना है कि वाहन श्री सुरेन्द्र प्रसाद के नाम से निर्बंधित वाहन सं०—बी०आर० 06 पी०जी०—3266 पर परमिट सं०—बी०आर० 2024 एस०सी० 2188ए० निर्गत है, जिसका डोमवलिया प्रारंभ 15:40 है, जबकि आवेदन में डोमवलिया प्रारंभ 15:39 प्रकाशित किया गया है। समय अन्तराल 1 मिनट।	बी.आर. 22 पी०ए०—9445 टैक्स—26.01.2025 फिटनेस—31.07.2026 इन्श्युरेंस—30.07.2025 प्रदूषण—31.07.2025 वीएलटीडी—09.08.2026 एच०एस०आर०पी०—हॉ। जुर्माना—नहीं।	आवेदक का प्रारंभ बिन्दु वाल्मिकीनगर है। समय 05:33 जबकि आपत्ति समय 05:39 वाल्मिकीनगर गोल चौक से दर्ज किया गया है। आपत्ति अमान्य।		तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत।
19	25	श्री विजय कुमार सिंह, पिता—योगेन्द्र सिंह, पता—131 नियर किसान भवन, वार्ड नं०—05 छत्तौनी, जिला—शिवहर। बैनर का नाम—जय माँ सीता।	बी.आर. 06 पी.जी.—6636 जी.—6636 04.10.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.—6636 टैक्स—29.12.2024 फिटनेस—03.10.2026 इन्श्युरेंस—02.10.2025 प्रदूषण—03.10.2025 वीएलटीडी—29.10.2026 एच०एस०आर०पी०—हॉ। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया—शिवहर, तरियानी, मीनापुर। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। सुगिया प्र०—04:32, 07:17, 11:34, 15:08 मुजफ्फरपुर प्र०—06:02, 09:22, 13:47, 18:37	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।	

६ *

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अच्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
20	26	श्री सत्येन्द्र नाथ मिश्रा, पिता-स्व० ठाकुर मिश्रा, पता-नियर अजय वर्मा नर्सिंग होम, गोपालपुर, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-नहीं।	बी.आर. 05 पी.बी.-7125 बी.-7125 03.04.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 05 पी.बी.-7125 टैक्स-29.12.2024 फिटनेस-02.04.2026 इन्श्युरेंस-02.04.2025 प्रदूषण-02.04.2025 वीएलटीडी-04.04.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-182 MMPPY संग्रामपुर से मोतिहारी। भाया-ईजरा, नवादा, पशुपतिनाथ चौक, गोविन्दगंज, अरेराज। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। संग्रामपुर प्र०-05:04, 08:55, 13:55, 18:05 मोतिहारी प्र०-06:40, 10:45, 16:16, 19:30	आपत्तिकर्ता- श्री अवधेश कुमार तिवारी, वाहन सं०-बी० आर० 05 पी०ए०-5141 परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी० 0064ए० मार्ग सं०-4728, अरेराज से मोतिहारी। आवेदक मोतिहारी प्र०-16.16 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-16.13 समय अंतराल 3 मिनट। आवेदक अरेराज प्र०-18.32 आपत्तिकर्ता अरेराज प्र०-18.32 समय अंतराल शून्य।	बी.आर. 05 पी०ए०.-5141 टैक्स-21.01.2025 फिटनेस-08.01.2026 इन्श्युरेंस-23.08.2025 प्रदूषण-14.08.2025 वीएलटीडी-30.11.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-500	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग भिन्न। मोतिहारी एवं अरेराज आपत्तिकर्ता का प्रारंभ बिन्दु है, जहाँ समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। अरेराज में समय अन्तराल शून्य। अरेराज आवेदक का चतुर्थ खेप का मध्य बिन्दु है।		चतुर्थ खेप में अरेराज बाईपास के साथ स्वीकृत।

३

१

२




क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर	वाहन संख्या / निक्शन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
21	27	श्री रामबाबु प्रसाद सिंह, पिता-स्व० रामेश्वर सिंह, पता-पी०एन०टी० रोड नियर चन्द्रशेखर भवन, मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर। बेनर का नाम-बी०एस०आर० टी०सी०	बी.आर. 06. पी. बी.-0151 02.03.2016 मॉडल 2016	बी.आर. 06. पी.बी.-0151 टैक्स-01.03.2025 फिटनेश-29.03.2025 इन्श्युरेंस-02.02.2025 प्रदूषण-06.12.2024 वीएलटीडी-29.05.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-429 डाउन बैरंगनिया से पटना। भाया-सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सराय, हाजीपुर, मीठापुर, बाँकीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। बैरंगनिया प्र०-09:50 बाँकीपुर प्र०-18:00	1. आपत्तिकर्ता- श्री मणिभूषण कुमार, का कहना है कि आवेदित वाहन का स्थाई परमिट संख्या-बी०आर० 2024 एस०सी० 1311ए०, राज्य परिवहन प्राधिकार, पटना से मधुबनी/पटना मार्ग पर दिनांक 24.07.2024 को निर्गत हुआ है। 2. आपत्तिकर्ता-गौधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रेमल्स, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-8351 परमिट सं०-394/2011, मैनुअल परमिट, माधवपुर से मिठापुर बस पड़ाव पटना। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-10.52 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-10.53 समय अंतराल 1 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि प्राधिकार के निदेशानुसार 3 मिनट का समय अन्तराल होना चाहिए। दोनों मार्ग 60% कॉमन है।	बी.आर. 06 पी०सी०-8351 टैक्स-10.02.2025 फिटनेश-17.04.2025 इन्श्युरेंस-12.11.2025 प्रदूषण-26.06.2025 वीएलटीडी-17.03.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदित वाहन का परमिट मधुबनी-पटना मार्ग पर दिनांक 24.07.2024 को एस०टी०ए० पटना द्वारा निर्गत है। परमिट प्रत्यर्पित किये दिना आवेदन किया गया है। अतः आपत्ति मान्य है। मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। सीतामढ़ी मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 1 मिनट है परन्तु एजेंडा प्रकाशन के उपरान्त क्षेत्रीय प्रबंध बी०एस०आर०टी०सी० द्वारा उल्लेख किया गया कि सीतामढ़ी में निगम बस पड़ाव एवं निजी बस पड़ाव अलग-अलग है। अतः आपत्ति मान्य नहीं।		आपत्ति 1 के आलोक में परमिट प्रत्यर्पण नहीं होने के कारण अस्वीकृत।

६

*

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
22	28	श्रीमती नमिता कुमारी, पति-सतीश कुमार, पता-पी०एन०टी० रोड नियर चन्द्रशेखर भवन मिठनपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर। बेनर का नाम-बी०एस०आर० टी०सी०।	बी.आर. 06 पी. जी.-8151 जी.-8151 24.09.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी. जी.-8151 टैक्स-22.12.2024 फिटनेश-23.09.2026 इन्श्युरेंस-04.09.2025 प्रदूषण-23.09.2025 वीएलटीडी-18.10.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2579 पुपरी से पटना। माया- सीतामढ़ी, डुमरा, बोहा चौक, गाढ़ा, झपहॉ, न्यु जिरोमाईल, मुजफ्फरपुर, सरैया, जटकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पुपरी प्र०-15:55 पटना प्र०-05:05	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
23	29	आवेदित वाहन संख्या-बी०आर० 01 पी०एम०-1423 है, जो बी०एस०आर०टी०सी० से संबंधित है।				मूल संचिका समर्पित नहीं किया गया है।				अस्वीकृत।
24	30	आवेदित वाहन संख्या-बी०आर० 01 पी०एफ०-0452 है, जो बी०एस०आर०टी०सी० से संबंधित है।				मूल संचिका समर्पित नहीं किया गया है।				अस्वीकृत।

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निम्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
25	31	श्री हरिनारायण सिंह, पिता-स्व० राम बहादुर सिंह, पता-शेखपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवलस।	बी.आर. 06 पी.डी.-6536 डी.-6536 24.01.2018 मॉडल 2018	बी.आर. 06 पी.डी.-6536 टैक्स-16.01.2025 फिटनेश-19.01.2026 इन्श्युरेंस-16.01.2025 प्रदूषण-11.06.2025 वीएलटीडी-25.10.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 डाउन। मुजफ्फरपुर से सुगिया। भाया-मीनापुर, तरीयानी, शिवहर। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-06:45, 10:38, 14:39, 18:22 सुगिया प्र०-08:16, 12:32, 16:08, 19:48	1. आपत्तिकर्ता- श्री विजय कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० जी०-6636 का कहना है कि आवेदित वाहन का स्थाई परमिट 02.08.2024 को निर्गत हुआ है तथा प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 के अनुसार 6 माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/निर्गमन किया जाएगा। 2. आपत्तिकर्ता- श्री केदार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० बी०-8236 का कहना है कि आवेदित वाहन का स्थाई परमिट 02.08.2024 को निर्गत हुआ है। तथा प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 के अनुसार 6 माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/निर्गमन किया जाएगा।	1. बी.आर. 06 पी०जी०.-6636 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-03.10.2026 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वीएलटीडी-नहीं। एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी०बी०.-8236 टैक्स-09.02.2025 फिटनेश-23.04.2025 इन्श्युरेंस-18.04.2025 प्रदूषण-14.07.2025 वीएलटीडी-11.05.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	दोनों आपत्ति समान। आवेदित वाहन को मुजफ्फरपुर-सुगिया मार्ग पर परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी० 13377र० दिनांक-02.08.2024 को निर्गत है। परमिट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नया आवेदन खेप बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि टाईम स्लॉट परिवर्तित करने के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में परमिट का प्रत्यर्पण आवश्यक है। अतः आपत्ति मान्य।		परमिट प्रत्यर्पण नहीं होने के कारण अस्वीकृत।
26	32	श्री चन्द्रमानु सिंह, पिता-स्व० नवल किशोर सिंह, पता-शेखपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवलस।	बी.आर. 06 पी.जी.-1581 07.02.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-1581 टैक्स-06.02.2025 फिटनेश-05.02.2026 इन्श्युरेंस-24.01.2025 प्रदूषण-06.02.2025 वीएलटीडी-29.01.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 डाउन। मुजफ्फरपुर से सुगिया। भाया-मीनापुर, तरीयानी, शिवहर। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05:17, 09:11, 14:22, 18:35 सुगिया प्र०-06:38, 12:03, 16:01, 19:58	आपत्तिकर्ता- श्री विजय कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०जी०-6636 आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-18.35 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-18.37 समय अंतराल 2 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि मेरा समय-सारणी कार्यालय जापांक 653 दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रकाशित है, जो क्रमांक 25 पर है। प्राधिकार के निर्णय अनुसार पहले आओ पहले पाओ के तहत मेरा आवेदन स्वीकृत करते हुए खेप कटाव के साथ परमिट पर विचार किया जाए।	बी.आर. 06 पी०जी०.-6636 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-03.10.2026 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वीएलटीडी-नहीं। एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आपत्तिकर्ता का आवेदन क्रमांक 25 पर है। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान। मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट आवश्यक है। समय अंतराल 2 मिनट। आपत्ति मान्य।		चतुर्थ खेप कटाव के साथ स्वीकृत।





क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/लिकन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
27	33	श्री चन्द्रमानु सिंह, पिता-स्व० नवल किशोर सिंह, पता-शेखपुर, धाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवलस।	बी.आर. 06 पी. एफ.-3438 एफ.-3438 16.04.2022 मॉडल 2022	बी.आर. 06 पी.एफ.-3438 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-15.04.2026 इन्श्युरेंस-03.04.2025 प्रदूषण-20.05.2025 वीएलटीडी-18.03.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 झाउन। मुजफ्फरपुर से सुगिया। भाया-मीनापुर, तरीयानी, शिवहर। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05:52, 11:49, 15:45, 20:02 सुगिया प्र०-08:36, 13:12, 17:45, 21:27	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
28	34	श्री कौशल किशोर झा, पिता-स्व० राजेन्द्र झा, पता-शेखपुर, धाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवलस।	बी.आर. 06 पी.सी.-2536 सी.-2536 30.06.2014 मॉडल 2014	बी.आर. 06 पी.सी.-2536 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-22.06.2025 इन्श्युरेंस-01.06.2025 प्रदूषण-09.08.2025 वीएलटीडी-19.06.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, तरीयानी, मीनापुर। प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। सुगिया प्र०-06:31, 11:34, 15:00 मुजफ्फरपुर प्र०-08:20, 13:17, 17:19	1. आपत्तिकर्ता- श्री विजय कुमार सिंह, वाहन सं०-बी0 आर0 06 पी0जी0-6636 मार्ग संख्या-4786, सुगिया से मुजफ्फरपुर। आवेदक सुगिया प्र०-11.34 आपत्तिकर्ता सुगिया प्र०-11.34 समय अंतराल शून्य। आपत्तिकर्ता का कहना है कि मेरा समय-सारणी कार्यालय झापांक 653 दिनांक 11.11.2024 द्वारा प्रकाशित है, जो क्रमांक 25 पर है। प्राधिकार के निर्णय अनुसार पहले आओ पहले पाओ के तहत मेरा आवेदन स्वीकृत करते हुए खेप कटाव के साथ परमिट पर विचार किया जाए। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि आवेदित वाहन का परमिट दिनांक 02.08.2024 को निर्गत है। प्राधिकार की बैठक दिनांक 30.10.2024 के अनुसार 6 माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/निर्गमन किया जाएगा। 2. आपत्तिकर्ता- श्री केदार सिंह, वाहन सं०-बी0 आर0 06 पी0 बी0-8236 का कहना है कि आवेदित वाहन का स्थाई परमिट 02.08.2024 को निर्गत हुआ है। प्राधिकार के 30.10.2024 के निदेशानुसार 6 माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/निर्गमन किया जाएगा।	1. बी.आर. 06 पी0जी0-6636 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-03.10.2026 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वीएलटीडी-नहीं। एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी0बी0-8236 टैक्स-09.02.2025 फिटनेश-23.04.2025 इन्श्युरेंस-18.04.2025 प्रदूषण-14.07.2025 वीएलटीडी-11.05.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदित वाहन को परमिट सं०-बी0आर0 2024 एस0सी0-1379ए0 दिनांक 02.08.2024 को निर्गत है जो मुजफ्फरपुर से सुगिया समान मार्ग पर है। आपत्तिकर्ता का आवेदन क्रमांक 25 पर है। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान। सुगिया प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल शून्य। अतः समय टकराव पर आपत्ति मान्य। आवेदित वाहन परमिट सं०-बी0आर0 2024-एस0सी0-1379ए0, से आवृत है एवं परमिट जारी करने की तिथि 02.08.2024 है। परमिट का प्रत्यर्पण नहीं किया गया है।		आपत्ति 2 के आलोक में परमिट प्रत्यर्पण नहीं होने के कारण अस्वीकृत।

३

४

५

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अन्त्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
29	35	श्री रामप्रवेश सिंह, पिता-स्व० महेन्द्र प्रसाद सिंह, पता-शेखपुर, धाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-अम्बिका ट्रेवल्ल्स।	बी.आर. 06 पी. बी.-1836 बी.-1836 13.06.2012 मॉडल 2012	बी.आर. 06 पी.बी.-1836 टैक्स-12.12.2024 फिटनेश-28.05.2025 इन्श्युरेंस-30.09.2025 प्रदूषण-11.06.2025 वीएलटीडी-24.05.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4786 सुगिया से मुजफ्फरपुर। भाया-शिवहर, तरियानी, मीनापुर। प्रतिदिन तीन खेप आना जाना। सुगिया प्र०-05:53, 10:58, 16:30 मुजफ्फरपुर प्र०-08:29, 12:37, 17:53	1. आपत्तिकर्ता- श्री केदार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० बी०-8236 का कहना है कि आवेदित वाहन का स्थाई परमिट 02.08.2024 को निर्गत हुआ है। प्राधिकार के 30.10.2024 के निदेशानुसार 6 माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/निर्गमन किया जाएगा। 2. आपत्तिकर्ता- श्री विजय कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० जी०-6636 का कहना है कि आवेदित वाहन का स्थाई परमिट 02.08.2024 को निर्गत हुआ है। प्राधिकार के 30.10.2024 के निदेशानुसार 6 माह के बाद ही परमिट का प्रत्यर्पण/निर्गमन किया जाएगा। 3. आपत्तिकर्ता- मनोज कुमार सिंह वास्ते मेसर्स आनन्द ट्रेमल्ल्स, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०ई०-5061 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-0838ए मार्ग सं०-2407, पिपराही से बैरिया बस स्टैण्ड। आवेदक शिवहर प्र०-11.33, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र०-11.33 समय अंतराल शून्य। वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-3589 आवेदक शिवहर प्र०-11.38, आपत्तिकर्ता शिवहर प्र०-11.33 समय अंतराल 5 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी०बी०-8236 टैक्स-09.02.2025 फिटनेश-23.04.2025 इन्श्युरेंस-18.04.2025 प्रदूषण-14.07.2025 वीएलटीडी-11.05.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी० आर० 06 पी० जी०-6636 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-03.10.2026 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-03.10.2025 वीएलटीडी-29.10.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 06 पी०ई०-5061 टैक्स-16.01.2025, फिटनेश-16.10.2025, इन्श्युरेंस-03.10.2025 प्रदूषण-30.12.2024, वीएलटीडी-04.10.2025, एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं। बी.आर. 06 पी०सी०-3589 टैक्स-25.12.2024, फिटनेश-15.09.2025, इन्श्युरेंस-05.03.2025 प्रदूषण-19.09.2025, वीएलटीडी-31.10.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	आवेदित वाहन को मुजफ्फरपुर-सुगिया मार्ग पर परमिट सं०-बी०आर० 2024 एस०सी० 13377ए० दिनांक-02.08.2024 को निर्गत है। परमिट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नया आवेदन खेप बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि टाईम स्लॉट परिवर्तित करने के लिए किया गया है। ऐसी स्थिति में परमिट का प्रत्यर्पण आवश्यक है। अतः आपत्ति मान्य। मध्य बिन्दु पर समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। शिवहर मध्य बिन्दु हैं जहाँ द्वितीय खेप में समय अन्तराल शून्य।		आपत्ति 1 एवं 2 के आलोक में परमिट प्रत्यर्पण नहीं होने के कारण अस्वीकृत।

३

४

५

क्र० सं०	एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निरंकन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अम्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
30	36	आनन्द ट्रेवल्ल, पार्टनर आनन्द कुमार सिंह, पता-कोल्हुआ, दादर, अहियापुर, जिला- मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-N/A	बी.आर. 06 पी.ई.-5061 ई.-5061 17.10.2019 मॉडल 2019	बी.आर. 06 पी.ई.-5061 टैक्स-16.01.2025 फिटनेश-16.10.2025 इन्श्युरेंस-03.10.2025 प्रदूषण-30.12.2024 वीएलटीडी-04.10.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2884 जानकीस्थान से मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड। भाया-सीतामढ़ी, डुमरा, मानिक चौक, गाढ़ा, रून्नीसैदपुर, झपड़ा, द्रोणपुर, न्यू जीरोमार्डल। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। जानकीस्थान प्र0-05.01, 08.53, 12.58, 18.16, मुजफ्फरपुर बस स्टैण्ड प्र0-07.17, 10.14, 14.35, 19.53,	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
31	37	श्री अभिषेक कुमार, पिता- श्री मनोज कुमार राय, पता-महुआ राम राय, महुआ, जिला- वैशाली। बैनर का नाम-नितेश ट्रेवल्ल।	बी.आर. 06 पी.जी.-4021 03.09.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-4021 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-02.09.2026 इन्श्युरेंस-01.09.2025 प्रदूषण-02.09.2025 वीएलटीडी-30.11.2026 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-1000/-	मार्ग संख्या-2603 पटोरी से मुजफ्फरपुर। भाया-जन्दाहा, महुआ, मरीचा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। पटोरी प्र0-04.35, 09.16, 14.30 मुजफ्फरपुर प्र0- 07.13, 11.47, 17.37	1. आपत्तिकर्ता- श्री दयानंद कुमार, वाहन सं0-बी0 आर0 06 पी0ए0-8326 परमिट सं0-777/2011, पटोरी से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र0-17.37 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र0-17.39 समय अंतराल 2 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता- श्री दयानंद कुमार, वाहन सं0-बी0 आर0 06 पी0एफ0- 4883 परमिट सं0-बी0आर0 2023-एस0सी0-1432ए0 मार्ग सं0-413 डाउन, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर। आवेदक महुआ प्र0-05.25 आपत्तिकर्ता महुआ प्र0-05.28 समय अंतराल 3 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी0ए0.-8326 टैक्स-03.02.2025 फिटनेश-08.02.2025 इन्श्युरेंस-04.02.2025 प्रदूषण-06.02.2025 वीएलटीडी-08.01.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी0एफ0.-4883 टैक्स-06.12.2024 फिटनेश-19.09.2025 इन्श्युरेंस-01.03.2025 प्रदूषण-01.03.2025 वीएलटीडी-29.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 3 मिनट आवश्यक है। समय अंतराल 2 मिनट। आपत्ति मान्य। महुआ आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु है जहाँ समय अंतराल 3 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।		आवेदक को जुर्माना की राशि 1000+10000 रु0 अतिरिक्त जुर्माना जमा करने की शर्त पर तृतीय खेप कटाव के साथ स्वीकृत। स्वीकृत।

३ ४ ५

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अम्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
32	38	श्री अभिषेक कुमार, पिता- श्री मनोज कुमार राय, पता-महुआ राम राय, महुआ, जिला- वैशाली। बैनर का नाम-नितेश ट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी. जी.-4019 जी.-4019 03.09.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-4019 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-02.09.2026 इन्श्युरेंस-01.09.2025 प्रदूषण-02.09.2025 वीएलटीडी-09.09.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-413 मुजफ्फरपुर से हाजीपुर। भाया-महुआ प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-04.30, 07.48, 12.33, 15.45, हाजीपुर प्र०- 05.55, 09.25, 13.50, 17.15,	आपत्तिकर्ता- श्री अरविंद कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०सी०-9301 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-3185ए० मार्ग संख्या-143 डालन, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर। आवेदक महुआ प्र०-09.48 आपत्तिकर्ता महुआ प्र०-09.51 समय अंतराल 3 मिनट।	बी.आर. 06 पी०सी०-9301 टैक्स-20.12.2024 फिटनेश-24.07.2025 इन्श्युरेंस-04.11.2024 प्रदूषण-26.01.2025 वीएलटीडी-23.07.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	महुआ आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु है जहाँ समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।		स्वीकृत।
33	39	श्री अभिषेक कुमार, पिता- श्री मनोज कुमार राय, पता-महुआ राम राय, महुआ, जिला- वैशाली। बैनर का नाम-नितेश ट्रेवल्स।	बी.आर. 06 पी. जी.-4018 जी.-4018 03.09.2024 मॉडल 2024	बी.आर. 06 पी.जी.-4018 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-02.09.2026 इन्श्युरेंस-01.09.2025 प्रदूषण-02.09.2025 वीएलटीडी-09.09.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-10500/-	मार्ग संख्या-413 मुजफ्फरपुर से हाजीपुर। भाया-महुआ प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०- 05.56, 09.28, 12.42, 15.57 हाजीपुर प्र०- 07.29, 11.28, 14.33, 17.20	आपत्तिकर्ता- श्री दयानंद कुमार, वाहन सं०-बी० आर० 01 पी०ई०-7306 परमिट सं०-बी०आर० 2021 एस०सी० 0690ए० मार्ग संख्या-2572 डालन, मुजफ्फरपुर से पासवान चौक। आवेदक महुआ प्र०-08.15 आपत्तिकर्ता महुआ प्र०-08.18 समय अंतराल 3 मिनट।	बी.आर. 01 पी०ई०-7306 टैक्स-27.01.2025 फिटनेश-01.08.2025 इन्श्युरेंस-03.09.2025 प्रदूषण-11.06.2025 वीएलटीडी-20.08.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	महुआ आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु है जहाँ समय अन्तराल 3 मिनट अनुमान्य है। आपत्ति अमान्य।		आवेदक को जुर्माना की राशि 10500+10000 रु० अतिरिक्त जुर्माना जमा करने की शर्त पर स्वीकृत।
34	40	मेसर्स आनन्द ट्रेवल्स, पार्टनर- श्री आनंद कुमार सिंह, पता-कोल्हुआ दादर, अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-N/A	बी.आर. 06 पी. जी.-4336 जी.-4336 24.07.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 06 पी.जी.-4336 टैक्स-20.01.2025 फिटनेश-21.07.2025 इन्श्युरेंस-26.08.2025 प्रदूषण-09.09.2025 वीएलटीडी-10.07.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4821 डालन सीतामढ़ी से पटना भाया-झुमरा, लगमा, प्रेमनगर बाईपास, रून्नीसैदपुर, खनुआघाट, पिपराघाट, झपहाँ, मुजफ्फरपुर बैरिया, भगवानपुर, सरैया, लालगंज, सराय, हाजीपुर प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०-05.12,	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

४ १ २

क्र० सं०	एजेन्डा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्माण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
35	41	श्री अरविंद कुमार राय, पिता- श्री जगदीश राय, पता-करहटिया बुजुर्ग, जिला- वैशाली। बैनर का नाम-शिव शक्ति।	बी.आर 06 पी0 डी0 -3137 08.03.2017 मॉडल 2017	बी.आर. 06 पी.डी.-3137 टैक्स-07.12.2024 फिटनेश-26.04.2026 इन्श्युरेंस-20.03.2025 प्रदूषण-20.02.2025 वीएलटीडी-12.04.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-413 डारुन हाजीपुर से मुजफ्फरपुर। भाया-महुआ। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। हाजीपुर प्र०-04.43, 09.44, 13.03, 16.05, मुजफ्फरपुर प्र०-07.15, 11.58, 14.35, 18.13,	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
36	42	श्री अजय कुमार शर्मा, पिता- श्री अक्षय कुमार शर्मा, पता-कुआमा पिपसाही, जिला- शिवहर। बैनर का नाम-INDIAN	बी.आर 30 पी.-3711 04.05.2011 मॉडल 2011	बी.आर 30 पी.-3711 टैक्स-18.01.2025 फिटनेश-04.03.2025 इन्श्युरेंस-10.01.2025 प्रदूषण-04.03.2025 वीएलटीडी-07.02.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-1000/-	मार्ग संख्या-2740 सीतामढ़ी से भीतामोड़। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०-06.35, 09.39, 13.27, 16.25, भीतामोड़ प्र०-07.45, 10.45, 15.14, 18.13	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
37	43	श्री ऋतिक कुमार, पिता- श्री विजय कुमार, पता-महुआ सिंह राय, महुआ, जिला- वैशाली। बैनर का नाम-जय शिव।	बी.आर. 31 पी0बी0- 6056 01.03.2024 मॉडल 2023	बी.आर. 31 पी0 बी0-6056 टैक्स-26.02.2025 फिटनेश-26.02.2026 इन्श्युरेंस-05.02.2025 प्रदूषण-28.02.2025 वीएलटीडी-22.02.2026 एच0एस0आर0पी0-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4891 मुसापुर से पटना। भाया-कोठिया, बरडीहा, हरपुर, महुआ, हाजीपुर, गायघाट। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुसापुर प्र०-03.55, 08.30, 12.31, 15.13, पटना प्र०- 06.30, 11.15, 13.57, 16.35	आपत्तिकर्ता मनोज कुमार राय का कहना है कि वाहन स्वामी द्वारा आवेदित वाहन का क्रय मुख्यमंत्री परिवहन योजना अन्तर्गत किया है। इस योजना अन्तर्गत एक प्राधिकार के अन्तर्गत ही वाहनों का परिचालन किये जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा दर्भंगा, मुजफ्फरपुर एवं पटना तीन प्राधिकार मार्ग पर आवेदन किया गया है।		मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना से प्राप्त वाहनों का परिचालन योजना अन्तर्गत अधिसूचित मार्ग पर ही अनुमान्य है। आपत्ति मान्य। आवेदक द्वारा आवेदित मार्ग तीन प्राधिकार के अन्तर्गत है। अतः उन्हें एस0टी0ए0 पटना में आवेदन समर्पित करना चाहिए।		अस्वीकृत।

४

*

७

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निक्खन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
38	44	श्री राकेश कुमार झा, पिता-श्री रघुनाथ झा, पता- नया टोला स्पीकर चौक, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जय माता दी।	बी.आर. 06 पी0 सी0-9651 07.05.2015 मॉडल 2015	बी.आर. 06 पी0 सी0-9651 टैक्स-06.02.2025 फिटनेस-04.10.2025 इन्श्युरेंस-02.10.2025 प्रदूषण-22.09.2025 वीएलटीडी-14.03.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4751 पटना से मनुआपुल। भाया-हाजीपुर, सराय,लालगंज, जटकौलीघाट, फकुली,रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, पहारपुर, कौंटी, महना बाजार, मातीपुर, साहेबगंज, चकिया बजार, कल्याणपुर, पिपसाकोटी, मातिहारी, छपवा, बेतिया। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। पटना प्र0-09.50 मनुआपुल प्र0-15.42	आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव का कहना है कि आवेदक द्वारा वाहन के समय-सारणी के प्रकाशन में पूर्ण भाया अंकित नहीं है, समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है एवं गति सीमा का भी उल्लंघन हो रहा है।		समय-सारणी में मार्ग के अनुरूप पूर्ण भाया अंकित है परन्तु मनुआपुल से बेतिया 2 कि०मी० की दूरी तय करने में समय 10 मिनट। गति 12 कि०मी०/घंटा। न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। आपत्ति मान्य।		न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय शारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अम्बुक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
39	45	श्री प्रमोद कुमार यादव, पिता-श्री चंद्रिका राय, पता- चोरमा डीहचोरमा, पकड़ीदयाल, जिला-पूर्वी चम्पारण बैनर का नाम-MPPY	बी.आर. 05 पी0बी0-7509 पी0बी0-7509 13.08.2024 मॉडल-2024	बी.आर. 05 पी0बी0-7509 टैक्स-12.02.2025 फिटनेश-12.08.2026 इन्शुरेंस-06.08.2025 प्रदूषण-01.09.2025 वीएलटीडी-21.08.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-260 रतनवा से मोतिहारी कचहरी। भाया-फेनहारा, डेकुली, मधुवन, चोरमा, पकड़ीदयाल, मोतिहारी कचहरी, छतौनी बस स्टैण्ड मोतिहारी। प्रतिदिन दो खेप आना जाना। रतनवा प्र0-07.00, 12.45, मोतिहारी कचहरी प्र0-09.30, 15.30	1. आपत्तिकर्ता- प्रतिष्ठान अधीक्षक, बी0एस0आर0टी0सी0, वाहन सं0-बी0 आर0 01 पी0एच0-4316 परमिट सं0-बी0आर0 2024-एस0सी0-2124ए0 मार्ग संख्या-2770, साहेबगंज से पकड़ीदयाल। आवेदक पकड़ीदयाल प्र0-08.38 आपत्तिकर्ता पकड़ीदयाल प्र0-08.40 समय अंतराल 2 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत आवंटित है, जिसका आवेदन प्राधिकार द्वारा निदेशित नियमों के अनुकूल नहीं हुआ है। 2. आपत्तिकर्ता- संजय कुमार सिंह, वाहन सं0-बी0 आर0 06 पी0सी0-5396 परमिट सं0-135/2019, मार्ग सं0-2484, सीतामढ़ी से मोतिहारी। आवेदक मधुवन प्र0-01.45 आपत्तिकर्ता मधुवन प्र0-01.42 समय अंतराल 3 मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदित वाहन का आवंटित मार्ग पकड़ीदयाल प्रखंड से जिला मुख्यालय मोतिहारी है, जबकि आवेदक द्वारा रतनवा (फेनहारा प्रखंड से मोतिहारी) मोतिहारी के लिए आवेदन किया गया है।	1. बी.आर. 01 पी0एच0-4316 टैक्स-29.01.2025 फिटनेश-28.04.2026 इन्शुरेंस-..... प्रदूषण-04.07.2025 वीएलटीडी-18.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी0सी0-5396 टैक्स-27.05.2025 फिटनेश-26.02.2025 इन्शुरेंस-26.02.2025 प्रदूषण-27.08.2025 वीएलटीडी-31.10.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	समय अंतराल 3 मिनट आवश्यक। न्यूनतम समय अंतराल 3 मिनट है। आपत्ति मान्य नहीं।		आपत्ति 1 के आलोक में प्रथम खेप में पकड़ीदयाल बाईपास करते हुए स्वीकृत।

३

४

५

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं वैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
40	46	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सततन राय, पता-जलालपुर, लालगंज, जिला-बैशाली। वैनर का नाम-N/A	बी0आर0 06 पी0एफ0-5806 06.03.2023 मॉडल-2023	बी0आर0 06 पी0एफ0-5806 टैक्स-27.02.2025 फिटनेश-05.03.2025 इन्श्युरेंस-05.03.2025 प्रदूषण-04.03.2025 वीएलटीडी-03.03.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2910 पटना मिठापुर से नवलपुर। भाया-हाजीपुर, लालगंज, सरैया, मणिकपुर, देवरिया, केसरिया, खजुरिया, अरेराज, पहाड़पुर, जगदीशपुर, बेतिया, नवलपुर, प्रतिदिन एक खेप आना जाना। पटना प्र0-04.28, नवलपुर प्र0- 08.55,	आवेदन वापस।				आवेदन वापस
41	47	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सततन राय, पता-जलालपुर, लालगंज, जिला-बैशाली। वैनर का नाम-N/A	बी0आर0 06 पी0एफ0-5807 06.03.2023 मॉडल-2023	बी0आर0 06 पी0एफ0-5807 टैक्स-27.11.2024 फिटनेश-05.03.2025 इन्श्युरेंस-03.03.2025 प्रदूषण-04.03.2025 वीएलटीडी-03.03.2025 एच0एस0आर0पी0-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2910 नवलपुर से पटना मिठापुर। भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मणिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, पटना मिठापुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र0- 08.07 पटना प्र0- 13.14	आवेदन वापस।				आवेदन वापस

३

४

५

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
42	48	श्री जितेन्द्र कुमार राय, पिता—श्री सत्तन राय, पता—जलालपुर, लालगंज, जिला—बैशाली। बैनर का नाम—छ६।	बी० आर० ०६ पी० ई०—४१०० मॉडल—२०१९	बी० आर० ०६ पी० ई०—४१०० टैक्स—१५.०२.२०२५ फिटनेस—२६.०८.२०२५ इन्श्युरेंस—१८.०९.२०२५ प्रदूषण—०१.०७.२०२५ वीएलटीडी—२१.०७.२०२५ एच०एस०आर०पी०—हाँ। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—२९१० नवलपुर से पटना मिठापुर। भाया—बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मणिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, पटना मिठापुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०— ०२.३६ पटना प्र०— १०.२०	आवेदन वापस।				आवेदन वापस

✍

*

२

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/ विवरण की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
43	49	श्री सज्जन कुमार लाठ, पिता- तुलाराम लाठ, पता- सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-N/A	बी० आर० ३० पी० ए०- ५१४० 16.09.2024 मॉडल-2024	बी० आर० ३० पी० ए०- ५१४० टैक्स-13.12.2024 फिटनेश-15.09.2026 इन्श्युरेंस-15.09.2025 प्रदूषण-15.09.2025 वीएलटीडी-10.10.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 भीठामोड़ से सीतामढ़ी। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन सात खेप जाना आना। भीठामोड़ प्र०-05.00, 07.30, 09.53, 13.58, 15.51, 18.45, 20.46, सीतामढ़ी प्र०-08.03, 08.46, 12.50, 14.50, 17.52, 19.58, 21.38,	1. आपत्तिकर्ता- शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० ३० पी०-3121 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-0370ए० मार्ग संख्या-2740, सीतामढ़ी से मिठामोर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-06.03 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-06.06 समय अंतराल 3 मिनट। आवेदित वाहन द्वारा 07 कि०मी० की दूरी 26 मिनट में तय की जा रही है, जिससे गति सीमा उल्लंघन हो रहा है।	1. बी.आर. 30 पी०-3121 टैक्स-11.02.2025 फिटनेश-31.03.2025 इन्श्युरेंस-09.08.2025 प्रदूषण-13.08.2025 वीएलटीडी-27.02.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।		आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान है। सीतामढ़ी एवं भीठामोड़ प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 7 मिनट आवश्यक है साथ ही सुरसंड से भीठामोड़ 7 कि०मी० की दूरी तय करने में 26 मिनट का समय प्रकाशित है। गति 16 कि०मी०/घंटा। न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। अतः आपत्ति मान्य।	न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।
						2. आपत्तिकर्ता- शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० ३० पी०-4855 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2182ए० मार्ग संख्या-2740 डाउन, मिठामोर से सीतामढ़ी। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-17.52 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-17.58 समय अंतराल 6 मिनट।	2. बी.आर. 30 पी०-4855 टैक्स-13.02.2025 फिटनेश-04.04.2025 इन्श्युरेंस-06.10.2028 प्रदूषण-01.08.2025 वीएलटीडी-27.02.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	समय अन्तराल 7 मिनट आवश्यक। आपत्ति मान्य है।		
						3. आपत्तिकर्ता- शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० ३० पी०-3684 परमिट सं०-148/2014, सीतामढ़ी से मिठामोर। आवेदक मिठामोर प्र०-09.53 आपत्तिकर्ता मिठामोर प्र०-09.51 समय अंतराल 2 मिनट। आवेदित वाहन द्वारा 07 कि०मी० की दूरी 26 मिनट में तय की जा रही है, जिससे गति सीमा उल्लंघन हो रहा है।	3. बी.आर. 30 पी०-3684 टैक्स-19.12.2024 फिटनेश-05.06.2025 इन्श्युरेंस-27.04.2025 प्रदूषण-12.07.2025 वीएलटीडी-23.10.2025 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	आपत्ति मान्य है।		

ॐ

*

ॐ

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अम्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
44	50	श्री दुष्यंत कुमार सिंह, पिता-श्री दिलीप कुमार सिंह, पता- अखैटवा, डुमरा, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-संगला सीतामढ़ी।	बी० आर० 30 जे०-8751 11.10.2014 मॉडल-2012	बी० आर० 30 जे०-8751 टैक्स-10.01.2025 फिटनेश-03.04.2025 इन्श्युरेंस-03.11.2025 प्रदूषण-03.05.2025 वीएलटीडी-05.03.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3515 मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। भाया-न्यु जीरोमार्डल, सहबाजपुर, झपहाँ, खनुआघाट, कोटवा, रुन्नीसैदपुर, बेलसण्ड, परसीनी। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-05.09, 10.29, 14.45, सीतामढ़ी प्र०-08.09, 12.46, 18.27,	1. आपत्तिकर्ता- श्री राजेश कुमार का कहना है कि वाहन स्वामी द्वारा अपने समय-सारणी के प्रकाशन में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खेप में आवेदित दूरी गलत दर्शाया गया है। अतः समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। 2. आपत्तिकर्ता- श्री राजेश कुमार चौधरी का कहना है कि वाहन स्वामी का वाहन मंगला रथ बैनर के तहत परिचालित होती है जिस बैनर के संचालक दुष्यंत कुमार सिंह हैं उक्त बैनर के तहत 2 वाहन पर लगभग 34 वर्ष से टैक्स बकाया है, जो m-parivahan पर भी देखा जा सकता है। जिससे सरकार के राजस्व की भारी क्षति हो रही है।	बी.आर. 06 पी०ई०-5261 टैक्स-09.01.2025 फिटनेश-17.09.2026 इन्श्युरेंस-16.09.2025 प्रदूषण-16.09.2025 वीएलटीडी-14.10.2026 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	आपत्तिकर्ता द्वारा प्रार्थित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। आपत्ति के आलोक में सॉफ्टवेयर से मिलान किया गया एवं पाया गया कि आपत्ति में वर्णित वाहन आवेदक के नाम से निर्बंधित नहीं है।		आवेदन वापस।
						3. आपत्तिकर्ता-नवल किशोर राय वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०ई०-5261 परमिट सं०-बी०आर० 2020-एस०सी०-0254ए० मार्ग सं०-2879, जमुआ से मुजफ्फरपुर। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-14.45 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-14.43 समय अंतराल 2 मिनट।	बी.आर. 06 पी०ई०-5261 टैक्स-09.01.2025 फिटनेश-17.09.2026 इन्श्युरेंस-16.09.2025 प्रदूषण-16.09.2025 वीएलटीडी-14.10.2026 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।			
						4. आपत्तिकर्ता-नागेश्वर राय, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०ई०-9661 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-2058ए० मार्ग सं०-4821, पटना से सीतामढ़ी। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-14.45 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-14.46 समय अंतराल 1 मिनट।	बी.आर. 30 पी०ई०-9661 टैक्स-13.12.2024 फिटनेश-12.06.2025 इन्श्युरेंस-16.09.2025 प्रदूषण-07.06.2025 वीएलटीडी-06.06.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।			
45	51	श्री रामजीवन लाठ, पिता-द्वारिका प्रसाद लाठ, पता-सुरसंड, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-....	बी० आर० 30 पी०-5181 01.09.2008 मॉडल-2008	बी० आर० 30 पी०-5181 टैक्स-15.02.2025 फिटनेश-04.12.2025 इन्श्युरेंस-19.01.2025 प्रदूषण-15.01.2025 वीएलटीडी-14.12.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2740 भीठामोड़ से सीतामढ़ी। भाया-सुरसंड। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। भीठामोड़ प्र०-09.19, सीतामढ़ी प्र०-13.05,	आपत्तिकर्ता- शैलेन्द्र कुमार सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०-3121 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-0370ए० मार्ग सं०-2740, सीतामढ़ी से भिठामोर। आवेदक भिठामोर प्र०-09.19 आपत्तिकर्ता भिठामोर प्र०-09.24 समय अंतराल 5 मिनट। आवेदक ने भिठामोर से सुरसंड की दूरी 33 कि०मी० दर्शाया है जबकि ये दूरी 07 कि०मी० है।	बी.आर.30 पी०-3121 टैक्स-11.02.2025 फिटनेश-31.03.2025 इन्श्युरेंस-09.08.2025 प्रदूषण-13.08.2025 वीएलटीडी-27.02.2025 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान है। भिठामोड़ प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल 7 मिनट आवश्यक है, जबकि समय-सारणी 5 मिनट अंकित है।		अस्वीकृत।

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबंधन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
46	52	श्री लालबहादुर सिंह, पिता-हरिबंश नारायण सिंह, पता- बारह पत्थर, जिला-समस्तीपुर। बैनर का नाम- N/A	बी० आर० 33 पी० ए०-9507 11.07.2018 मॉडल-2017	बी० आर० 33 पी० ए०-9507 टैक्स-31.01.2025 फिटनेश-28.12.2024 इन्श्युरेंस-11.08.2025 प्रदूषण-20.07.2025 वीएलटीडी-18.11.2024 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4829 चुरौत से पटना। माया-भितामोड़ सुरसंड, सीतामढ़ी, डुमरा, प्रेमनगर, रुन्नीसैदपुर, खनुआघाट, टेंगराही, पिपरा, मीनापुर, झपहॉ द्रोणपुर, बैरिया मुजफ्फरपुर, रामदयालुनगर, फकुली, जतकौलीघाट, सराय, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। चुरौत प्र०-05.49 पटना प्र०-18.22	1. आपत्तिकर्ता- श्री सौरभ सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 08 पी०ई०-6423 परमिट सं०-बी०आर० 2021-एस०सी०-2082ए० मार्ग संख्या-4768, रकसील से पटना। आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-09.16 आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-09.18 समय अंतराल 2 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता- श्री राजेश कुमार वाहन सं०-बी० आर० 30 पी०-6351 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-1684ए० मार्ग संख्या-4829, चुरौत से पटना। आवेदक चुरौत प्र०-05.49 आपत्तिकर्ता चुरौत प्र०-05.55 समय अंतराल 6 मिनट। 3. आपत्तिकर्ता- श्री मदन मोहन शर्मा, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी० सी०-8161 परमिट सं०-बी०आर० 2024-एस०सी०-2148ए० मार्ग सं०-4920, मेजरगंज से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-07.44 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-07.43 समय अंतराल 1 मिनट।	बी.आर. 06 पी०ई०-6423 टैक्स-08.12.2024 फिटनेश-11.12.2025 इन्श्युरेंस-08.12.2025 प्रदूषण-08.01.2025 वीएलटीडी-01.12.2025 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-31000 / बी.आर. 30 पी०-6351 टैक्स-02.01.2025 फिटनेश-10.08.2025 इन्श्युरेंस-20.09.2025 प्रदूषण-22.11.2025 वीएलटीडी-17.09.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-11500 / बी.आर. 06 पी०सी०-8161 टैक्स-20.01.2025 फिटनेश-06.11.2025 इन्श्युरेंस-01.03.2025 प्रदूषण-07.06.2025 वीएलटीडी-06.11.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु है जहाँ समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। आपत्ति मान्य। आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मार्ग समान है। चुरौत प्रारंभ बिन्दु पर समय अन्तराल 7 मिनट आवश्यक है। आपत्ति मान्य। सीतामढ़ी आवेदक एवं आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु है जहाँ समय अन्तराल 3 मिनट आवश्यक है। आपत्ति मान्य।		आपत्ति 2 के आलोक में खेप कटाव के कारण अस्वीकृत। आपत्तिकर्ता 1 एवं 2 पर द्रबित जुर्माना के अतिरिक्त रू० 10000 / - जुर्माना अधिरोपित।

३

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
47	53	श्री रणवीर कुमार, पिता-शत्रुघ्न टाकूर, पता-सधौलसुरता, माधोपुर, कुडनी, जिला-मुजफ्फपुर। बैनर का नाम-ओम साई राम।	बी० आर० ०५ पी० ए०-८१४० 28.04.2018 मॉडल-2017	बी० आर० ०५ पी० ए०-८१४० टैक्स-18.01.2025 फिटनेश-29.07.2026 इन्श्युरेंस-20.11.2024 प्रदूषण-23.07.2025 वीएलटीडी-24.11.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2639 पटना से रामनगर। माया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकाल धट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, बड़कागाँव, देवरिया, साहेबगंज, केसरिया, कोटवा, मोतिहारी, छपवा, बेतिया, घनपटिया, साठी, नरकटियागंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-10.15 रामनगर प्र०-21.45	1. आपत्तिकर्ता- श्री राम एकबाल दूबे वास्ते श्रीमती प्रभा मिश्रा, वाहन सं०-बी० आर० ०६ पी०बी०-००३९ परमिट सं०-बी०आर० / १०६ / एस०सी० / २५४ / १९९७ मार्ग संख्या-४७५३, मुज० बस पड़ाव से पटना बस पड़ाव। आवेदक पटना प्र०-१०.१५ आपत्तिकर्ता पटना प्र०-१०.१४ समय अंतराल १ मिनट। 2. आपत्तिकर्ता- श्री राम एकबाल दूबे वास्ते विश्वजीत मिश्रा, वाहन सं०-बी० आर० ०६ पी०बी०-०२३४ परमिट सं०-०२६१ / २०१३ मार्ग संख्या-३७७६, दामोदरपुर से पटना बस पड़ाव। आवेदक पटना प्र०-१०.१५ आपत्तिकर्ता पटना प्र०-१०.१६ समय अंतराल १ मिनट।	1. बी.आर. ०६ पी०बी०-००३९ टैक्स-18.12.2024 फिटनेश-27.06.2025 इन्श्युरेंस-28.04.2025 प्रदूषण-०१.१२.२०२४ वीएलटीडी-10.07.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. ०६ पी०बी०-०२३४ टैक्स-11.12.2024 फिटनेश-25.03.2025 इन्श्युरेंस-24.03.2025 प्रदूषण-27.02.2025 वीएलटीडी-०५.०४.२०२५ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-४५०० /	पटना प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल ३ मिनट आवश्यक है। दोनों आपत्ति मान्य।		दोनों आपत्ति से खेप कटाव के कारण अस्वीकृत। आपत्तिकर्ता २ पर खेप जूमाना के अतिरिक्त रु० १००००/- जुर्माना अधिसूचित।
48	54	श्रीमती रश्मि प्रती-चन्द्रहास, पता- अहियापुर, न्यु जिरोमाईल, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-तिरंगा।	बी० आर० ०६ पी०-५५७७ 04.08.2008 मॉडल-2008	बी० आर० ०६ पी०-५५७७ टैक्स-०३.०२.२०२५ फिटनेश-३०.०६.२०२५ इन्श्युरेंस-३१.०१.२०२५ प्रदूषण-१२.०५.२०२५ वीएलटीडी-२६.०६.२०२५ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-२३४४ बेलसंड से सीतामढ़ी। भाया-परसौनी। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। बेलसंड प्र०-१०.४५, १२.४६, सीतामढ़ी प्र०-१२.१०, १३.२५	1. आपत्तिकर्ता- श्री चन्द्रमणी कुमार वास्ते विपुल रंजन कुमार,, वाहन सं०-बी० आर० ३० पी०-१८६७, परमिट सं०-बी०आर० २०२३-एस०सी०-२८७४ए० मार्ग संख्या-२३४४, बेलसंड से सीतामढ़ी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि वाहन स्वामी के अन्य वाहनो पर टैक्स बकाया है जो निम्न है- वाहन सं०-बी० पी० एफ -२९३९, टैक्स बकाया- जुलाई २०१२ वाहन सं०-बी० आर० एफ -५७८१ टैक्स बकाया- सितम्बर १९८२ 2. आपत्तिकर्ता- श्री धीरेन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी० आर० २४ पी०-५९१२, परमिट सं०-बी०आर० २०२३-एस०सी०-२९२७ए० मार्ग संख्या-२३४४, बेलसंड से सीतामढ़ी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि वाहन स्वामी के अन्य वाहनो पर टैक्स बकाया है जो निम्न है- वाहन सं०-बी० पी० एफ -२९३९, टैक्स बकाया- जुलाई २०१२ वाहन सं०-बी० आर० एफ -५७८१ टैक्स बकाया- सितम्बर १९८२	1. बी.आर. ३० पी०-१८६७ टैक्स-२९.०१.२०२५ फिटनेश-०५.०९.२०२५ इन्श्युरेंस-२८.०८.२०२५ प्रदूषण-०५.०९.२०२५ वीएलटीडी-०२.०८.२०२५ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. २४ पी०-५९१२ टैक्स-०४.०१.२०२५ फिटनेश-१८.०३.२०२५ इन्श्युरेंस-२२.०२.२०२५ प्रदूषण-०७.१०.२०२५ वीएलटीडी-०७.१०.२०२५ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	दोनों आपत्ति समान है। आपत्तिकर्ता द्वारा वर्णित वाहन आवेदिका के नाम से निबधित नहीं है।	पति एवं ससुर के नाम से क्रमशः बी० पी० एफ -२९३९ एवं बी० आर० एफ -५७८१ निबधित है।	स्वीकृत।

४

५

६

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / लिखन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
49	55	वाहन सं०— BR01PL7545 आवेदन सं०— BR241109T03 31470 आवेदन की तिथि— 09.11.2024				मूल संचिका समर्पित नहीं किया गया।				अस्वीकृत।
50	56	श्री महिप कुमार, पिता—श्री राम नारायण सिंह, पता— महमदपुर, दामोदर, सकरा, जिला—मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम—बी०एस०आर० टी०सी०।	बी० आर० 06 पी० सी०—4511 11.12.2014 मॉडल—2014	बी० आर० 06 पी० सी०—4511 टैक्स—10.12.2024 फिटनेस—08.12.2024 इन्श्युरेंस—04.05.2025 प्रदूषण—16.07.2025 वीएलटीडी—07.12.2025 एच०एस०आर०पी०—नहीं। जुर्माना—नहीं।	मार्ग संख्या—2314 पटना से बेतिया। भाया—हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना—09.30 बेतिया प्र०—21.40	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
51	57	वाहन सं०— BR01PH4286 आवेदन सं०— BR241109T06 36982 आवेदन की तिथि— 09.11.2024				मूल संचिका समर्पित नहीं किया गया।				अस्वीकृत।
52	58	वाहन सं०— BR01PH3540 आवेदन सं०— BR241109T06 40230 आवेदन की तिथि— 09.11.2024				मूल संचिका समर्पित नहीं किया गया।				अस्वीकृत।

४

५

६

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निचयन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
53	59	वाहन सं०- BR01PF7578 आवेदन सं०- BR241109T05 46542 आवेदन की तिथि- 09.11.2024					मूल संचिका समर्पित नहीं किया गया।			अस्वीकृत।
54	60	श्री केदार सिंह, पिता- जोगिन्द्र सिंह, पता- खेखपुर, अखाड़ाघाट, जिला-मुजफ्फरपुर। -बैनर का नाम-जय माँ सीता।	बी० आर० 06 पी० ए०-8236 02.11.2009 मॉडल-2009	बी० आर० 06 पी० ए०-8236 टैक्स-01.02.2025 फिटनेश-26.11.2025 इन्श्युरेंस-04.11.2025 प्रदूषण-22.05.2025 वीएलटीडी-03.12.2024 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4892 लालगढ़ से मुजफ्फरपुर। भाया-रामबन, मुसहरी बाजार, मुंशी चौक, नरबारा मौनापुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। लालगढ़ प्र०-07.15 मुजफ्फरपुर प्र०- 15.47	आपत्तिकर्ता- श्री चन्द्रभानु सिंह, वाहन सं०-बी० आर० 06 पी०एफ०-3438 का कहना है कि प्राधिकार का निर्णय है कि 15 वर्ष पुराने वाहन अधिकतम 100 कि०मी० प्रतिदिन परिचालित होना चाहिए। आवेदक द्वारा अपने समय-सारणी में लालगढ़ से मुजफ्फरपुर की दूरी 49.5 कि०मी० प्रदर्शित किया है, जबकि लालगढ़ से मुजफ्फरपुर की दूरी 54 कि०मी० है। अतः समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। पहले आओ पहले पाओ के तहत मेरे द्वारा आवेदन पहले किया गया है, जो क्रमांक 34 पर है।	बी.आर. 06 पी०एफ०-3438 टैक्स-29.12.2024 फिटनेश-15.04.2026 इन्श्युरेंस-03.04.2025 प्रदूषण-20.05.2025 वीएलटीडी-18.03.2026 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	सॉफ्टवेयर में मार्ग संख्या- 4892 लालगढ़ से मुजफ्फरपुर की दूरी 54 कि०मी० है। आवेदित वाहन 15 वर्ष पुराना है, जिसका परिचालन 100 कि०मी० ही अनुमान्य है। आपत्ति मान्य।	आवेदित दूरी अनुमान्य दूरी से अधिक होने के कारण अस्वीकृत।	
55	61	श्री संतोष कुमार राय, पिता-श्री रविन्द्र राय, पता-विलासपुर, लालकोठी, हरिनगर, रामनगर, जिला- प०चम्पारण। बैनर का नाम-आनंद ट्रेवल्स।	बी० आर० 05 पी० बी०-6974 मॉडल-2017	बी० आर० 05 पी० बी०-6974 टैक्स-05.02.2025 फिटनेश-31.03.2025 इन्श्युरेंस-18.04.2025 प्रदूषण-07.02.2025 वीएलटीडी-06.02.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2788 सोनवर्षा से गोलचौक बाल्मिकीनगर भाया-लखनौटा, डंगरील, मनवापरसी, नरकटियारंग, रामनगर, बेलवा, चखनी, सउरहाँ चम्पापुर वरुआवारी, प्रतिदिन दो खेप आना जाना। सोनवर्षा प्र०-01.58, 11.23, गोलचौक बाल्मिकीनगर प्र०-06.01, 16.33	आपत्ति अप्राप्त।			स्वीकृत।	

४ ✱ २

NO सं०	एजेडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निम्न की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
56	62	श्री राम इकबाल राय, पिता-सिंगेश्वर राय, पता- भटौलीया, ब्रहमपुर कर्मण, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- एस0पी0 ट्रेमल्स।	बी0 आर0 56 पी0 -1073 28.03.2017 मॉडल-2017	बी0 आर0 56 पी0 -1073 टैक्स-11.01.2025 फिटनेश-24.08.2025 इन्श्युरेंस-09.04.2025 प्रदूषण-07.04.2025 वीएलटीडी-10.01.2026 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4867 बंगरा से मुजफ्फरपुर। भाया-ननाईन, धनैया, साहेबगंज, मोतीपुर, कोटी, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। बंगरा प्र0-07.08, 12, 15, मुजफ्फरपुर प्र0।0, 37, 16,31,	आपत्तिकर्ता- श्रीमती रानी कुमारी, वाहन सं0-बी0 आर0 06 पी0एफ0-5395 परमिट सं0-बी0आर0 2023-एस0सी0-2777ए0 मार्ग संख्या-4867, बंगरा से मुजफ्फरपुर। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक ने अपने आवेदन में दूरी को कम दर्शाया है। इसलिए समय-सारणी का प्रकाशन त्रुटिपूर्ण है। साहेबगंज से मुजफ्फरपुर तथा मोतीपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी 35 कि0मी0 है। जबकि प्रदर्शित दूरी 25 कि0मी0 है।	बी.आर. 06 पी0एफ0.-5395 टैक्स-22.01.2025 फिटनेश-24.01.2025 इन्श्युरेंस-23.01.2025 प्रदूषण-14.07.2025 वीएलटीडी-31.01.2025 एच0एस0आर0पी0-है। जुर्माना-नहीं।	द्वितीय खेप में मोतीपुर से मुजफ्फरपुर 25 कि0मी0 की दूरी तय करने में 95 मिनट का समय प्रकाशित है। गति 15.8 कि0मी0/घंटा। न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है।		न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।
57	63	श्री हरिवंश नासायण सिंह, पिता-राम सेवक सिंह पता- ब्रहमपुरा, जिला-मुजफ्फरपुर बैनर का नाम-N/A	बी0 आर0 06 पी0 बी0-5565 17.01.2013 मॉडल-2012	बी0 आर0 06 पी0 बी0-5565 टैक्स-11.07.2025 फिटनेश-30.08.2025 इन्श्युरेंस-04.09.2025 प्रदूषण-27.08.2025 वीएलटीडी-07.09.2025 एच0एस0आर0पी0-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4695 मुजफ्फरपुर से गोपालगंज भाया-पहाड़पुर, मोतीपुर, चकिया, केशरिया, खजुरिया, सहमपुर, गोपालगंज, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र0-08.25, गोपालगंज प्र0-16.50	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

६




५

७

NO सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
58	64	मे० जे० जी० डी० ट्रेमल्स प्राइवेट लि० डाइरेक्टर- शान्ति देवी, पति- कमलेश्वर सिंह, पता- बतरीलिया, बखरा, सरेया, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम-जे० जी० डी० ट्रेमल्स प्राइवेट लि०	बी० आर० ०६ पी० जी०-1837 29.02.2024 मॉडल-2023	बी० आर० ०६ पी० जी०-1837 टैक्स-27.11.2024 फिटनेश-27.02.2026 इन्श्युरेंस-23.02.2025 प्रदूषण-27.02.2025 वीएलटीडी-27.02.2026 एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2658 रक्सौल से पटना भाया-छपवा, हरसिद्धि, अरेराज, खजुरिया, केशरिया, साहेबगंज, जाफरापुर, अम्बारा, बखरा, वैशाली, लालगंज, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-01.40 पटना-09.15	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
59	65	श्री उमाकांत कुमार सिंह, पिता-किशोरी सिंह, पत्नी- मठिया जिरात, छतीनी, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण। बैनर का नाम-रमणा।	बी० आर० ०५ पी० ए०-0451 23.11.2013 मॉडल-2013	बी० आर० ०५ पी० ए०-0451 टैक्स-22.11.2024 फिटनेश-08.01.2025 इन्श्युरेंस-14.11.2025 प्रदूषण-30.11.2024 वीएलटीडी-17.12.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2465 रक्सौल से सिवान भाया-सुगौली, छपवा, मोतीहारी, खजुरिया, महम्मदपुर, गोपालगंज, मीरगंज, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-04.55 सिवान प्र०-11.53	1. आपत्तिकर्ता- श्री सुमन्ध सौरभ दास्ते कौशल मिश्रा, वाहन सं०-बी० आर० ०६ पी०सी०-6596 परमिट सं०-220/2006, रक्सौल से पटना। आवेदक रक्सौल प्र०-04.55 आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-04.55 समय अंतराल शून्य। 2. आपत्तिकर्ता- श्री अभिषेक कुमार, वाहन सं०-बी० आर० ०५ पी०बी०-0220 परमिट सं०-बी०आर० 2023-एस०सी०-0237ए० मार्ग संख्या-4077, सिवान से मोतिहारी। आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक का वाहन रमणा बैनर में अंतर्गत परिचालित होता है। जिसके अंतर्गत वाहन सं० बी० आर० ०६ पी०एफ०-1649 न न ए०सी० में निबधित है, पर वाहन ए०सी० युक्त है। इससे सरकार के राजस्व की क्षति है।	बी.आर. ०६ पी०सी०-6596 टैक्स-11.02.2025 फिटनेश-10.08.2025 इन्श्युरेंस-14.11.2025 प्रदूषण-16.08.2025 वीएलटीडी-31.07.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। बी.आर. ०५ पी०बी०-0220 टैक्स-29.01.2025 फिटनेश-04.04.2025 इन्श्युरेंस-12.03.2025 प्रदूषण-08.01.2025 वीएलटीडी-26.03.2025 एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	रक्सौल प्रारंभ बिन्दु पर समय अंतराल शून्य है। आपत्ति मान्य। वर्गित वाहन आवेदक के नाम से निबधित नहीं है। आपत्ति अमान्य।		अस्वीकृत।

✍ ✍ ✍

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बेनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
60	66	मे० जे० जी० डी० ट्रेमल्स प्राइवेट लि० डाइरेक्टर- शान्ति देवी, पति- कमलेश्वर सिंह, पता- बतरीतिया, बखरा, सरैया, जिला-मुजफ्फरपुर। बेनर का नाम-जे० जी० डी० ट्रेमल्स	बी० आर० ०६ पी० जी० 1836 29.02.2024 मॉडल-2023	बी० आर० ०६ पी० जी० 1836 टैक्स-27.11.2024 फिटनेश-27.02.2026 इन्शुरेंस-23.02.2025 प्रदूषण-27.02.2025 वीएलटीडी-27.02.2026 एच०एस०आर०पी०-हैं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-2658 रक्सौल से पटना भाया-छपवा, हरसिद्धि, अरेराज, खजूरिया, केशरिया, साहेबगंज, जाफरापुर, अम्बारा, बखरा, वेशाली, लालगंज, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-11.40 पटना प्र०-20.14	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।
61	67	श्रीमति प्रियंका कुमारी, पति- श्री भिरगु कुमार झा, पता- गावपुर, भगवतपुर, जिला-समस्तीपुर। बेनर का नाम- नितु राजा।	बी० आर० ३३ पी० ए०-8580 18.04.2017 मॉडल-2017	बी० आर० ३३ पी० ए०-8580 टैक्स-12.02.2025 फिटनेश-11.04.2026 इन्शुरेंस-04.04.2025 प्रदूषण-19.03.2025 वीएलटीडी-07.03.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-3794 पटना से बेतिया। भायाहाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौलीघाट, फकुली, रामदयाल, मुजफ्फरपुर, रोशनपानपुर, कौंटी, महनाबाजार, साहेबगंज, केशरिया, कोटवा, मोतीहारी छपवा, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-20.57 बेतिया प्र०-15.09	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
62	68	श्री मनोज कुमार पिता-श्री जगन्नाथ दुबे, पता- श्रीरामपुरा, भगवानपुर, सवर, जिला-मुजफ्फरपुर। बैनर का नाम- जय माता दी।	बी० आर० ०६ पी० ई०-४३५१ ०२.०५.२०१९ मॉडल-२०१९	बी० आर० ०६ पी० ई०-४३५१ टैक्स-०१.०२.२०२५ फिटनेश-०१.०३.२०२५ इन्श्युरेंस-२८.०४.२०२५ प्रदूषण-०१.१०.२०२५ वीएलटीडी-१६.०४.२०२५ एच०एस०आर०पी०-हॉ। जुर्माना-५००/-	मार्ग संख्या-४७५१ पटना से मनुआपुल। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जटकौलीघाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर, पहारपुर, कोटी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, चाकिया बजार, कल्याणपुर, मियराकोठी, मोतिहारी, छपवा, बेतिया। प्रतिदिन एक खेप आना जाना। पटना प्र०-०७.५९ मनुआपुल प्र०-१५.१५	१. आपत्तिकर्ता- श्री शत्रुघ्न ठाकुर चारते अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, वाहन सं०-बी० आर० ३१ पी० ए०-५२४० परमिट सं०-बी०आर० २०२४ एस०सी०-१०९१ए० मार्ग सं०-३७९२, पटना मिठापुर बस स्टैण्ड से बेतिया, आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-१८.४४ आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-१८.४५ समय अंतराल १ मिनट। २. आपत्तिकर्ता- श्री अक्वैश कुमार तिवारी, वाहन सं०-बी० आर० ०६ पी० ई०-४६४१, परमिट सं०-बी०आर० २०२३ एस०सी०-१३०३ए० मार्ग सं०-१९०, जहानाबाद से बेतिया, आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-१०.०७ आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-१०.०६ समय अंतराल १ मिनट। समय-सारणी के प्रकाशन में पूर्ण भाया भी अंकित नहीं है। ३. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव का कहना है कि समय-सारणी के प्रकाशन में पूर्ण भाया भी अंकित होना अनिवार्य है। आवेदित वाहन के समय-सारणी के प्रकाशन में पूर्ण भाया अंकित नहीं है, साथ ही गति सीमा का भी उल्लंघन किया गया है। उक्त वाहन जय माता दी बैनर के अंतर्गत परिचालित होता है। इस बैनर पर पूर्व से लाखों का जुर्माना बकाया है।	बी.आर. ३१ पी०ए०-५२४० टैक्स-१०.०१.२०२५ फिटनेश-१३.११.२०२६ इन्श्युरेंस-०५.१०.२०२५ प्रदूषण-०५.०३.२०२५ वीएलटीडी-१३.०२.२०२६ एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-३५००/ बी.आर. ०६ पी०ई०-४६४१ टैक्स-१५.१२.२०२४ फिटनेश-०६.१०.२०२५ इन्श्युरेंस-०७.०१.२०२५ प्रदूषण-०४.०९.२०२५ वीएलटीडी-२३.०९.२०२५ एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	मुजफ्फरपुर आवेदक एवं आपत्तिकर्ता मध्य बिन्दु है, जहाँ समय अन्तराल ३ मिनट आवश्यक है, जबकि समय-सारणी में १ मिनट अंकित है। आपत्ति मान्य। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण। बेतिया से मनुआपुल २ कि०मी० की दूरी ९ मिनट में तय किया जा रहा है। गति १३.३ कि०मी०/घंटा।		न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।

✍ ✍ ✍

क्र० सं०	एजेंडा क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निरंकन की तिथि एवं मॉडल	वैधता	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
63	69	श्री अशोक कुमार यादव, पिता-श्री जय कुमार राय पता- वार्ड नं०-05 बड़डीहा, तुर्की, जिला-बैशाली। बैनर का नाम- जानकी रथ।	बी० आर० 06 पी० बी०-1434 16.05.2012 मॉडल-2012	बी० आर० 06 पी० बी०-1434 टैक्स-15.02.2025 फिटनेश-01.09.2025 इन्श्युरेंस-22.12.2024 प्रदूषण-29.08.2025 वीएलटीडी-28.08.2026 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-4885 चिकनौटा से पटना। भाया- पातेपुर, बरडीहा, कुशहर, महुआ, हाजीपुर, जहुआ, गायघाट, अगनकुंआ, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। चिकनौटा प्र०- 08.50 पटना प्र०-12.26	आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

३

७



कार्यावली संख्या-3(ii) - परिशिष्ट-V

अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के लंबित आवेदन पत्रों पर विचार।

क्र० सं०	वाहक का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री राजन सिंह, पिता-बच्चा सिंह, पता-छावनी खास, पो०-गोपालगंज, थाना-मोंझागढ़, जिला-गोपालगंज।	BR28E-7262 परमिट संख्या- BR2023-SC-3531A टैक्स-27.11.2024 फिटनेस-02.05.2025 इन्शुरेंस-16.04.2025 प्रदुषण-25.11.2025 वी.एल.टी.डी.-22.04.2025 जुर्माना- नहीं।	3000/- 09.01.2024	मार्ग संख्या-4011 सिवान से बेतिया, भाया-गोपालगंज, यादोपुर, मंगलपुर, नौतन, इमली चौक। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सिवान प्र०-05:34, 12:09 बेतिया प्र०-09:20, 15:35	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से निर्गत परमिट संख्या 135/2023 के प्रतिहस्ताक्षर हेतु समय-सारणी का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशनोपरान्त आपत्ति- 1. आपत्तिकर्ता-मनोज कुमार का कहना है कि वाहन सं०-बी०आर० 28 ई० 7262 स्कूल में परिचालित होती है। वाहन का रंग स्कूल बस के रंग का है। मोटरयान निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संलग्न नहीं है।	वाहन की जाँच मोटरयान निरीक्षक गोपालगंज द्वारा बस स्टैण्ड में किया गया एवं पाया गया कि वाहन पीला कलर का है एवं परमिट का रूट सिवान से बेतिया है। आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में मोटरयान निरीक्षक जाँच प्रतिवेदन कार्यालय को समर्पित कर दिया गया है।	जाँच प्रतिवेदन संताषजनक नहीं पाया गया। अतः जाँच प्रतिवेदन पुनः प्राप्त करने हेतु लंबित।

(Handwritten marks)

क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या/निर्वाहन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
26	श्री राजेश कुमार, पिता-श्री रघुनाथ शर्मा, पता-वार्ड नं०-12, मुरादपुर, झुमरा, जिला-सीतामढ़ी। बैनर का नाम-विवकी।	बी.आर. 30 पी. -4351 20.08.2013 मॉडल 2013	बी.आर. 30 पी.-4351 टैक्स-13.11.2024 फिटनेश-10.09.2025 इन्शुरेंस-02.05.2025 प्रदूषण-22.11.2024 वीएलटीडी-09.09.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-18000/	मार्ग संख्या-4829 चौरौत से पटना। भाया-भीठामोड़, सुरसंड, सीतामढ़ी, झुमरा, प्रेमनगर, रुन्नीसैदपुर, खनुआघाट टेंगराहा, पीपरा, मीणापुर, झपहॉं, द्रोणपुर, बैरिया मुजफ्फरपुर, रामदयालु, फकुली, जतकौलियाघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर, प्रतिदिन एक खेप आना जाना। चौरौत प्र०- 05.05 पटना प्र०- 13.04	1. आपत्तिकर्ता श्री शंकर प्र० सिंह वास्ते मेसर्स आलोक ट्रेवल्स, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. बी.-8522 परमिट सं०-80/2014 मार्ग सं०-मैनुअल परमिट, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-06.59, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-07.00, समय अंतराल-01 मिनट। 2. आपत्तिकर्ता श्री नीरज कुमार सिंह वास्ते मदन मोहन शर्मा, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी. सी.-8161, आपत्तिकर्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा चौरौत से पटना के लिए समय सारणी का प्रकाशन कराया गया है जिसमें सुरसंड से भिठामोड़ की दूरी 06 कि०मी० 19 मिनट में तय किया जा रहा है। समय-सारणी त्रुटिपूर्ण है। 3. आपत्तिकर्ता श्री गोंधी प्रसाद सिंह, वाहन सं०-बी.आर. 06 पी.सी.-8551, परमिट सं०-354/2009, मैनुअल परमिट। सीतामढ़ी से बैरिया। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-15.40, आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-15.41, समय अंतराल-01 मिनट।	1. बी.आर. 06 पी. बी.-8522 टैक्स-23.01.2025 फिटनेश-14.07.2025 इन्शुरेंस-20.10.2025 प्रदूषण-06.09.2025 वीएलटीडी-30.07.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 2. बी.आर. 06 पी. सी.-8161 टैक्स-20.10.2024 फिटनेश-06.11.2025 इन्शुरेंस-01.03.2025 प्रदूषण-07.06.2025 वीएलटीडी-06.11.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं। 3. बी.आर. 06 पी.सी.-8551 टैक्स-22.12.2024 फिटनेश-21.06.2025 इन्शुरेंस-18.06.2025 प्रदूषण-19.09.2025 वीएलटीडी-24.05.2025 एच०एस०आर०पी०-नहीं। जुर्माना-नहीं।	सुरसंड से भिठामोड़ 6 कि०मी० की दूरी 19 मिनट में तय की जा रही है। न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। गति 18.9 KMPH		न्यूनतम गतिसीमा का उल्लंघन होने के कारण अस्वीकृत।

क्र०	वाहन स्वामी का नाम, पता एवं बैनर	वाहन संख्या / निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण।	अभ्युक्ति	कार्यालय अम्बुवित्त वाले वाहन का विवरण	निर्णय
47	श्री देवेन्द्र कुमार पिता-ध्रुवनाथ प्रसाद ग्राम-राजेश्वरी पैलेश जिला-मोतीहारी बैनर का नाम-एन० आर० ए० गुड़िया	बी० आर० ०६ पी० सी०-९७४७ ०९.०४.२०१६ मॉडल-२०१६	बी० आर० ०६ पी० सी०-९७४७ टैक्स-०८.०१.२०२५ फिटनेश-१८.०९.२०२५ इन्श्युरेंस-०६.०९.२०२५ प्रदूषण-२६.०७.२०२५ वीएलटीडी-२३.०७.२०२५ एच०एस०आर०पी० है। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-२४६५ सिवान से रक्सौल भाया-मीरगंज, गोपालगंज, महम्मदपुर खजुरिया, मोतीहारी, छपवा, सुगौली, एक खेप जाना आना। सिवान प्र० ६:१३ रक्सौल प्र०-१२:५४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्तिकर्ता श्री आलोक कुमार पाण्डेय, वाहन सं०-बी.आर. ०५ पी.बी.-७३८८ परमिट सं०-बी.आर.२०२४-एस.सी.-२०६३ए. मार्ग सं०-२४६५ डाउन, रक्सौल से सिवान। आवेदक खजुरिया प्र०-१५:२५ आपत्तिकर्ता खजुरिया प्र०-१५:२४ समय अंतराल ०१ मिनट।	बी.आर. ०५ पी.बी.-७३८८ टैक्स-०८.०१.२०२५ फिटनेश-१८.०९.२०२५ इन्श्युरेंस-०६.०९.२०२५ प्रदूषण-२६.०७.२०२५ वीएलटीडी-२३.०७.२०२५ एच०एस०आर०पी० है। जुर्माना-नहीं।	आपत्ति मध्य बिन्दु पर है जहाँ समय अंतराल १ मिनट है। आपत्तिकर्ता का प्रतिहस्ताक्षर आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण की बैठक कार्यवाही दिनांक ३०.११.२०२४ में प्रतिहस्ताक्षर अस्वीकृत किया गया है।	स्वीकृत।
69	श्री प्रसून कुमार पिता-मिथिलेन्द्र राय ग्राम-माधव नगर जिला-सीतामढ़ी बैनर का नाम- पियुष	बी० आर० ३० पी० ए०-१६३९ १३.०६.२०१९ मॉडल-२०१८	बी० आर० ३० पी० ए०-१६३९ टैक्स-१२.१२.२०२४ फिटनेश-२६.०९.२०२५ इन्श्युरेंस २६.०५.२०२५ प्रदूषण-१७.०१.२०२५ वीएलटीडी २९.०७.२०२५ एच०एस०आर०पी० है। जुर्माना-नहीं।	मार्ग संख्या-२२६ डाउन मुजफ्फरपुर से पुपरी भाया-न्थुजीरोमाईल, सहबाजपुर,द्रोणपुर,झपहॉ, कोरलहिया, जनार, रूनीसैदपुर, महुआगाछी, रायपुर प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर प्र०-४:५०, ९:०८, १४:१३, १९:१३ पुपरी प्र०-७:१८,११:५५, १७:०५, २१:२५	१. आपत्तिकर्ता श्री सत्येन्द्र कुमार, वाहन सं०-बी.आर. ०६ पी. ए.-४५८३ समय-सारणी पर आपत्ति। आवेदक पुपरी प्र०-०७:१८ आपत्तिकर्ता पुपरी प्र०-०७:२५ समय अंतराल ०७ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि पियुष ट्रेवल्स कम्पनी श्री मिथिलेन्द्र कुमार राया द्वारा संचालित होता है। इनके यहा पुर्व से २५ (पच्चीस) लाख रुपया टैक्स काया है। २. आपत्तिकर्ता श्री मनोज कुमार यादव, वाहन सं०-बी.आर. ०६ पी. जी.- ११०८ समय-सारणी पर आपत्ति। मार्ग सं०-२२६ डाउन, मुजफ्फरपुर से पुपरी आवेदक मुजफ्फरपुर प्र०-१४:१३ आपत्तिकर्ता मुजफ्फरपुर प्र०-१४:१५ समय अंतराल ०२ मिनट। आपत्तिकर्ता का कहना है कि पियुष ट्रेवल्स कम्पनी श्री मिथिलेन्द्र कुमार राया द्वारा संचालित होता है। इनके यहा पुर्व से २५ (पच्चीस) लाख रुपया टैक्स काया है।	१. बी.आर. ३० पी. ए.-४५८३ टैक्स-२९.१०.२०२४ फिटनेश-०१.०२.२०२५ इन्श्युरेंस-०७.०३.२०२५ प्रदूषण-०६.०२.२०२५ वीएलटीडी-०१.०२.२०२५ एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-१२५००/ २. बी.आर. ०६ पी. जी.-११०८ टैक्स-०१.०१.२०२५ फिटनेश-०२.०१.२०२६ इन्श्युरेंस-०१.०१.२०२५ प्रदूषण-०२.०१.२०२५ वीएलटीडी-०३.०१.२०२६ एच०एस०आर०पी०-है। जुर्माना-नहीं।	एजेंड्या प्रकाशन के उपसंत वाहन स्वामी द्वारा सूचना दिया गया कि आपत्तिकर्ता द्वारा बैनर के टैक्स बकाया के आधार पर आपत्ति किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है कि किसी अन्य वाहन/बैनर के टैक्स बकाया के कारण दुसरे वाहन का परमिट अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है।	स्वीकृत।

६

७

८

कार्यावली सं० (3)(ii)

परिशिष्ट-V

एजेन्ट अनुज्ञप्ति

क्र० संख्या	आवेदक का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क	चरित्र प्रमाण-पत्र	अभ्युक्ति	निर्णय
1	श्री अशोक कुमार ठाकुर, पिता-शकलदेव ठाकुर, पता-शिवपुरी लेन नंबर 2 मझौलिया रोड, वार्ड सं०-27, थाना-काजीमुहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	570676359569	3500/- 07.11.2024	पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर का प्रमाण पत्र संख्या-BCHC/2024/947378 दिनांक-15.10.2024	नवीकरण अनुज्ञप्ति।	स्वीकृत।

अपर समाहर्ता (सि.ज.स्व.)

-सह-सदस्य क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

12.12.24

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

12/12/24
आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।